पंचम माला, खंड 44, अंक 36, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1974/15 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIV, No. 36 Friday, September 6, 1974/Bhadra 15, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड44 में अंक 31 से 38 तक हैं / Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य. दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण हैं और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 36, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1974/15 भाद्र, 1896 (शक)

No. 36, Friday, September 6, 1974/Bhadra 15, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा को स्थगित किया जाना	Adjournment of the House .	1
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House .	2
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	3
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . . .	7
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sitting of the House	7
संसदीय समितियां	Parliamentary Committees	8
कार्यवाही सारांश	Minutes	8
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति--9वां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Ninth Report	8
खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा उनकी कमी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Unprecedented Price Rise and scarcity of foodgrains and other essential commodities . . .	8
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	8
बाल दत्तक ग्रहण विधेयक	Adoption of Children Bill . .	9
संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति करने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to appoint Member to Joint Committee	9
विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक	Foreign contribution (Regulation) Bill.	10
संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति करने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to appoint Member to Joint Committee	10
दिल्ली बिक्री कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill .	10
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	11

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee	12
सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक	Customs Tariff Bill .	12
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक	Prevention of Food Adulteration (Amendment Bill)	15
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति करने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव	Motion to concur in Recommendation of Rajya Sabha to Join in the Joint Committee	15
तेल उद्योग (विकास) विधेयक	Oil Industry (Development) Bill .	18
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider .	18
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	18
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	19
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	19
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	20
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	20
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	21
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	21
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	22
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	23
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthama	23
श्री डी० के० बरुआ	Shri D.K. Borooah	23
खंड 2 से 31 और 1	Clauses 2 to 31 and 1	25
पारित करने का प्रस्ताव. संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended .	31
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary .	31
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	31
श्री डी० के० बरुआ	Shri D.K. Borooah	31
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75—पारित	Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75—Passed . .	32

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1974—पुरःस्थापित	Appropriation (No. 3) Bill, 1974.—Introduced	34
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	34
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	34
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy .	34
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	35
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	36
श्री ईरा सेझियान	Shri Era Sezhiyan .	37
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	37
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	38
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	38
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . .	39
गुजरात के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Continuance in force of the President's proclamation in respect of Gujarat. . .	42
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha . .	42
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	43
डा० महिपत राय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta .	43
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	44
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel .	46
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hemendra Singh Banera .	46
श्री अरविंद एम० पटेल	Shri Arvind M. Patel	47
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	47
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja . . .	48
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi . .	52
सभा का अवमान	Contempt of the House . . .	50
दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे फाटक पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway accident at a level crossing on South Central Railway .	51
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . .	51
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member . . .	53
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	53

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1974/15 भाद्र. 1896 (शक)
Friday, September 6, 1974/Bhadra 15, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए
Mr. Speaker **in the Chair**]

सभा को स्थगित किया जाना
Adjournment of the House

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने आपको पत्र लिखा है (**व्यवधान**) कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिये सभा के कार्य को स्थगित किया जाये (**व्यवधान**) ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, the incident taken place yesterday has tarnished the image of democracy. **(Interruptions).** It should be discussed first of all. **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मुझे आज और भी अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । मैं उन्हें आधी रात तक पढ़ता रहा और फिर भी बहुत से अभी मेरी मेज पर पड़े हैं। हमें इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिये। मेरे विचार से हमें कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करनी चाहिये तथा उसमें कोई समाधान खोजना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The meeting was also held yesterday but no solution could be found therein.

Shri Madhu Limaye (Banka) : May I make a statement ? **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी नियम पुस्तकों आदि को अभी वहीं रहने दो । उनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री क० रघुरमैया) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कुछ समय के लिये सभा को स्थगित किया जाये। सभी नेताओं को उसमें बुला लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा एक घंटे के लिये स्थगित होगी। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य तथा नेता मेरे समिति कक्ष में मिलेंगे। सभा 12.15 बजे पुनः समवेत होगी।

(इसके पश्चात लोक सभा स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned)

महा सचिव: माननीय सदस्यगण ! कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अभी चल रही है । अध्यक्ष महोदय ने मुझ से कहा है कि सभा 12.45 बजे समवेत होगी।

(लोक सभा 12 बजकर 45 मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled at Forty five minutes past twelve of the Clock).

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

(Mr. Speaker in the Chair).

सभा के कार्य के बारे में

Re : Business of House

अध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति की आज हुई बैठक में यह सिफारिश की गई है कि शेष चालू सत्र में सभा में निम्नलिखित पदों पर विचार किया जाएगा तथा उनके लिये निर्धारित समय उसके सामने लिखा हुआ है।

	घंटा
(1) तेल उद्योग (विकास) विधेयक पर आगे चर्चा .	1½
(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर आगे चर्चा तथा मतदान	1
(3) गुजरात उदघोषणा के बारे में संकल्प	3
(4) ब्याज कर विधेयक .	2
(5) बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक . .	1
(6) एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक	1
(7) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक	1
(8) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) . . .	3
(9) 7 सितम्बर, 1974 को बिभिन्न मामलों के बारे में सदस्यों द्वारा अनुरोध	1
(10) सदस्यों के हस्ताक्षरों के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसदीय जांच के संबंध में प्रस्ताव	4

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सभा 9 सितम्बर, 1974 को भी बैठेगी तथा शेष सत्र में किसी स्थगन प्रस्ताव या विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इस निर्धारित कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन किया जायेगा।

प्रश्न यह है:

"कि सभा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

सफदरजंग ऊपरी पुल (निर्माणाधीन) के दो महरावों के ढह जाने के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन और इस पर की गई कार्यवाही की ज्ञापन और गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश ।

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं श्री भोला पासवान शास्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) 9-1-1974 को सफदरजंग ऊपरी पुल (निर्माणाधीन) के दो मेहरावों के ढह जाने के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8388/74]

(दो) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति:—

(1) सम्पूर्ण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पोरबन्दर के मामले में दिनांक 22 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 2373/79592—पांच।

(2) हृदय अपार्टमेंट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 30 जुलाई, 1974 का संख्या वी० सी० टी०-1474/41336—पांच।

(3) सुचिता कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, आनन्द के मामले में दिनांक 31 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 2474/43207—पांच।

(4) भारत हाउसिंग कार्पोरेशन, सूरत के मामले में दिनांक 5 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 3073/28043—पांच।

(5) स्थानकवासी वणिक जैन के मामले में दिनांक 9 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 2872/71254—पांच ।

(6) यशपाल अपार्टमेंट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 9 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1473/13978—पांच।

(7) ग्राम समरखा, तालुक आनन्द की क्रम संख्या 802 की 2 क-25 जी एस भूमि की बिक्री के मामले में दिनांक 9 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी 2474/11213—पांच।

(8) बड़ौदा की क्रम संख्या 532 में से 2723 वर्ग गज भूमि की बिक्री सम्बन्धी श्रीमती ताखाबैन राना अमोद के मामले में दिनांक 13 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० 1774/45063—पांच।

(9) बसन्त इन्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 23 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० एस० आर०-123/73 ।

(10) नेपट्यून टाउनर शापिंग सेन्टर ओनर्स एसोसियेशन (प्रस्तावित), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 26 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी० /एस० आर० 171/74 ।

(11) श्री गोबिन्द टी, स्वामी तथा अन्य, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 26 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर० 26-32/72 ।

(12) एसोसिएटेड टैक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में दिनांक 29 जुलाई, 1974 का अदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर० 61 ।

(13) देवाड़ी तालुक, देसकराय के श्री हरजीभाई शोभाभाई के मामले में दिनांक 2 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर० 164/73 ।

(14) पेटलाड के मोहनलाल रणछोड़दास पटेल के मामले में दिनांक 24 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०181 ।

(15) श्री पेटलाड गंज के मामले में दिनांक 25 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर० 85 ।

(16) बाबु भाई महीजीभाई के मामले में दिनांक 30 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०–215 ।

(17) श्रीमती हरगंगावन ईश्वरलाल, सूरत के मामले में दिनांक 21 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०-258 ।

(18) कामरेज विभाग फ्रूट एंड वेजीटेबल्स कोआपरेटिव सोसाइटी के मामले में दिनांक 22 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर० 377 ।

(19) अमर इंजीनियरिंग वर्क्स, सूरत के मामले में दिनांक 26 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/376 ।

(20) महादेव नगर इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 2 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/326/74 ।

(21) श्री चन्द्रकान्त गोरधनदास देसाई दोहद के मामले में दिनांक 6 अगस्त, 1974 का आदेश संख्या लैंड/डबल्यू० एस०–2915 ।

(22) विरानी फास्टनर्स एंड बोल्टस प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट के मामले में दिनांक 25 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 35 ।

(23) ग्राम दुमद, तालुक बड़ौदा के श्री काशी भाई गोबिन्द भाई पटेल के मामले में दिनांक 27 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०-61/74।

(24) बड़ौदा के लेफ्टीनेंट कर्नल सैयद बद्रुद्दीन के मामले में दिनांक 31 जुलाई, 1974 का आदेश संख्या वी० सी०टी०/एस० आर० मिसलेनियस 15/74।

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8379/74]

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1972-73 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनीं अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8385/74]

गुजरात राज्य प्रतिभूति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत की गई प्रतिभूति के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग)(तीन) के साथ पठित गुजरात राज्य प्रतिभूति अधिनियम, 1963 की धारा 2 की उपधारा (2) (क) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम के अधीन गुजरात सरकार द्वारा की गई प्रतिभूतियों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8390/74]

रंगाई सामग्री उद्योग की समीक्षा संबंधी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) के बारे में सरकार के निर्णय

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तगत, दिनांक 3 सितम्बर, 1974 के सरकारी संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या 12(2)/टी०ए०आर०/74 की एक प्रति , जिसमें रंगाई सामग्री उद्योग की समीक्षा संबंधी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8391/74]

मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुये वर्ष के लिये समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शेकरानन्द) : श्री सुबोध हंसदा की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मेटल स्क्रेप कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8392/74]

31 मार्च 1973 को समाप्त हुये वर्ष के लिये स्कूटर्स इंडियन लिमिटेड लखनऊ के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8393/74]

सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा मेघालय विधान सभा के सदस्य श्री समसुला हक के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा मेघालय विधान सभा के सदस्य श्री समसुल हक के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में सर्वश्री बी० के० दास चौधरी तथा एस० एम० बनर्जी द्वारा नियम 377 के अधीन 5 अगस्त, 1974 को सभा में उठाये गये मामले के अनुसरण में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8394/74]

कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 1974

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 1974

संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 871 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8386/74]

ग्रामोफोन कंपनी आफ इंडिया तथा ग्रामोफोन रिकार्डों के मूल्यों के बारे में दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 को क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 और 3792 के उत्तर में दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के कारण बताने वाला विवरण

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया तथा ग्रामोफोन रिकार्डों के मूल्यों के बारे में दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 को क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 और 3792 के उत्तर में औद्योगिक विकास उपमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8387/74]

राज्य सभा से संदेश

Massage from Rajya Sabha

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है :

"कि राज्य सभा ने 4 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गई है कि वह बालक-दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्यता से श्रीमती भार्गवी तनकप्पन द्वारा त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।"

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of absence from the Sitting of the House

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 16वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है :

(1) श्री बिश्वनाथ झुनझुन वाला	20 अप्रैल, से 10 मई, 1974 तक (दसवां सत्र)
(2) श्रीमती कृष्णा कुमारी	22 जुलाई से 7 सितम्बर, 1974 तक (ग्यारहवां सत्र)
(3) श्री बी० आर० भगत	22 जुलाई से 14 अगस्त, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)
(4) श्री रसिक लाल पारिख	22 जुलाई से 7 सितम्बर, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

(5) श्री दत्ताजीराव कदम — 22 जुलाई से 7 सितम्बर, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

(6) श्री ए० के० गोपालन — 22 जुलाई से 7 सितम्बर, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

(7) श्री राजगोपाल राव बोदेपल्लि — 22 जुलाई से 5 अगस्त, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

(8) श्री फतहसिंहराव गायकवाड — 3 अप्रैल, से 10 मई, 1974 तक (दसवां सत्र) और 22 जुलाई से 11 अगस्त, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

(9) श्री बिद्दिका सत्यनारायण — 8 अप्रैल से 10 मई, 1974 तक दसवां सत्र और 22 जुलाई से 15 अगस्त, 1974 तक (ग्याहरवां सत्र)

क्या उक्त अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ?

माननीय सदस्यगण: जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी गई ।

संसदीय समितियां

Parliamentary Committees

कार्यवाही सारांश

श्री अमरनाथ चावला (दिल्ली सदर) : मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 42 से 45 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं चालू सत्र के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 16वीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासानों संबंधी समिति

Committee on Government Assurances

9 वां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा उनकी कमी के बारे में वक्तव्य

Statement Re : unprecedented price rise and scarcity of foodgrains and other essential commodities

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): श्री सी० सुब्रह्मण्यम् की ओर से मैं खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा उनकी कमी के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :

वक्तव्य

खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से सरकार को भारी चिन्ता है और इसके परिणामस्वरूप जनता को हो रही कठिनाइयों से वे पूर्णतया अवगत ह । मूल्यों में वृद्धि की यह प्रवृत्ति न केवल वर्ष 1973 के सारे वर्ष में बनी रही बल्कि दुर्भाग्यवश चालू वर्ष में भी बराबर बनी हुई है । अनाजों का अद्यतन सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 44.8 प्रतिशत तक ऊंचा है ।

मूल्यों में वृद्धि के प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में चल रही अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति और साथ-साथ पिछले वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य भी अत्यधिक ऊंचे स्तर पर निर्धारित करने पड़े थे ताकि उत्पादन के लिये आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके । राजसहायता के भार को कम करने के लिये निर्गम मूल्यों का भी ऊंचे स्तरों पर उपयुक्त रूप से समायोजन करना पड़ा था । देश में कमी की मनोभावना पैदा हो गयी है, जहां कि मूल्यों में और वृद्धि की प्रत्याशा में सभी स्तरों पर खाद्यान्नों के स्टाक को रोक लिया गया है । समाज विरोधी तत्वों द्वारा भी सट्टेबाजी के लिये जमाखोरी की गई है ।

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से देने के लिये खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये, चालू वर्ष के दौरान जुलाई के अन्त तक लगभग 61 लाख मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किये गये थे।

कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के लिये मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है और व्यापारिक खाते पर गेहूं के संचलन की भी इजाजत दे दी गई है । इन पगों के साथ-साथ जमाखोरी निरोधक और अन्य विनियमक तथा मितव्ययिता संबंधी उपाय भी किये गये हैं ताकि खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ स्थिरता लाने के लिये अनुकूल वातावरण पैदा किया जा सके । राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष उत्पादन कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं ताकि मौजूदा संसाधनों का पूर्णतया इस्तेमाल किया जा सके। सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का आयात भी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बैंक ऋण पर चुनींदा नियंत्रण लगाने सहित कई मुद्रास्फीति निरोधक उपाय भी किये गये हैं ।

जहां तक चीनी का संबंध है, घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये देश भर में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चीनी को समान खुदरा मूल्यों पर वितरित किया जा रहा है । वनस्पति के बारे में, खाने के तेलों के अधिक मूल्य होने के कारण, इसके उत्पादन और इसकी उपलब्धता में कमी हुई है ।

सरकार स्थिति की गंभीरता से पूर्णतया अवगत है और स्थिति का मुकाबला करने के लिये यथा-वश्यक सभी उपाय करने का निश्चय किये हुए है ।

बाल दत्तक ग्रहण विधेयक 1972

ADOPTION OF CHILDREN BILL 1972

संयुक्त समिति में एक सदस्य को नियुक्ति करने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा बाल दत्तक ग्रहण तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्रीमती भार्गवी तनकप्पन द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुये स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में श्री भोला माझि को नियुक्त किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा वाले दत्तक ग्रहण तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्रीमती भार्गवी तनकप्पन द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में श्री भोला माझि को नियुक्त किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

विदेशी अभिदाय विनियमन विधेयक

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL

संयुक्त समिति में एक सदस्य को नियुक्ति करने संबंधी राज्यसभा की सिफारिश से सहमति ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्यसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा कुछ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने और उसके प्रयोग को विनियमित करने के लिये और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगी विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति से श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में श्री झारखंडे राय को नियुक्त किया जाये।".

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा कुछ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने और उसके प्रयोग को विनियमित करने के लिये और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगी विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति से श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिये उक्त संयुक्त समिति में श्री झारखंडे राय को नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दिल्ली बिक्री कर विधेयक—जारी

DELHI SALES TAX BILL—(CONTD.)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उदग्रहण

से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' वाद-विवाद, जो 1 अगस्त, 1974 को स्थगित कर दिया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उदग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' वाद-विवाद, जो 1 अगस्त, 1974 को स्थगित कर दिया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उदग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पहले परिचालित हो चुका है ?

श्री के० आर० गणेश : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर उदग्रहण से सम्बन्धित वृद्धि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
(3) श्री एच० के० एल० भगत
(4) श्री भागीरथ भंवर
(5) सरदार बूटा सिंह
(6) श्री अमर सिंह चौधरी
(7) श्रीमती प्रमिलाबाई दाजीसाहिब चव्हाण
(8) श्री यशवन्त राव चव्हाण
(9) श्री शंकर नारायण सिंह देव
(10) श्री सी० सी० गोहेन
(11) श्री माधुर्य्य हालदर
(12) श्री एन० ई० होरो

(13) श्री चिरंजीव झा

(14) श्रीमती सुभद्रा जोशी

(15) श्री विक्रम महाजन

(16) श्रीमती शकुन्तला नायर

(17) श्री अरविन्द बाला पजनौर

(18) श्री वीरेन्द्र सिंह राव

(19) श्री पी० वी० रेड्डी

(20) श्री अर्जुन सेठी

(21) डा० एच० पी० शर्मा

(22) श्री एम० आर० शर्मा

(23) श्री रामावतार शास्त्री

(24) श्री एस० एम० सिद्दैया

(25) श्री रुद्र प्रताप सिंह

(26) श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

(27) श्री सोमचन्द सोलंकी

(28) श्री आर० पी० उलगनम्बी

(29) श्री अमरनाथ विद्यालंकार; और

(30) श्री के० आर० गणेश

और उसे अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक

Customs Tariff Bill

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकिन और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :--

(1) श्री रुद्र प्रताप सिंह

(2) श्री नाथूराम अहिरवार

(3) श्री मगती अंकिनीडु

(4) श्री बी० आर० भगत

(5) श्री एम० भीष्म देव

(6) श्री जी० भुवाराहन

(7) श्री त्रिदिव चौधरी

(8) श्री यशवन्त राव चव्हाण

(9) श्री एस० आर० दामानी

(10) श्री डी० डी० देसाई

(11) श्री हीरा लाल डोडा

(12) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

(13) श्री डी० बी० चन्द्र गौडा

(14) श्री पी०ए० स्वामीनाथन

(15) श्री हरी सिंह

(16) श्री सी० जनार्दनन

(17) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

(18) श्री महाराज सिंह

(19) श्री श्याम सुन्दर महापात्र

(20) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(21) श्री नुरुल हुडा

(22) श्री कार्तिक उरांव

(23) श्री एच० एम० पटेल

(24) श्री रामजी राम

(25) श्री महादीपक सिंह शाक्य

(26) श्री एस०ए० शमीम

(27) श्री रण बहादुर सिंह

(28) श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

(29) श्री तैयब हुसैन; और

(30) श्री के० आर० गणेश

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री रूद्र प्रताप सिंह

(2) श्री नाथूराम अहिरवार

(3) श्री मगती अंकिनीडु

(4) श्री बी० आर० भगत

(5) श्री एम० भीष्म देव

(6) श्री जी० भुवाराहन

(7) श्री त्रिदिब चौधरी

(8) श्री यशवन्त राव चव्हाण

(9) श्री एस० आर० दामानी

(10) श्री डी० डी० देसाई

(11) श्री हीरा लाल डोडा

(12) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

(13) श्री डी० बी० चन्द्र गौडा

(14) श्री पी०ए० स्वामीनाथन

(15) श्री हरी सिंह

(16) श्री सी० जनार्दनन

(17) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

(18) श्री महाराज सिंह

(19) श्री श्याम सुन्दर महापात्र

(20) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(21) श्री नुरुल हुडा

(22) श्री कार्तिक उरांव

(23) श्री एच० एम० पटेल

(24) श्री रामजी राम

(25) श्री महादीपक सिंह शाक्य

(26) श्री एस० ए० शमीम

(27) श्री रण बहादुर सिंह

(28) श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

(29) श्री तैयब हुसैन; और

(30) श्री के० आर० गणेश

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill

संयुक्त समिति में सदस्यों को नियुक्ति करने संबंधी राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 2 सितम्बर, 1974 को अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 2 सितम्बर, 1974 को इस सभा को भेजी गयी इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 40 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जाएं, अर्थात:—

(1) श्री अचल सिंह

(2) श्री तारोडकर वेंकटराव बाबाराव

(3) श्री भागीरथ भंवर

(4) श्री वीरेन एंगती

(5) श्री बृज राज सिंह

(6) श्री वी० शंकर गिरि

(7) श्रीमती मारजोरे गौडफ्रे

(8) श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे

(9) श्री माधुर्य हालदार

(10) श्री एम०एम० जोजफ

(11) कुमारी कमला कुमारी

(12) श्री तुलसीराम दशरथ कांबले

(13) श्री एम० कतामुतु

(14) श्री ए० के० किस्कु

(15) श्री ए० के० कोत्तशिट्टी

(16) श्रीमती पी० लक्ष्मीकान्तम्मा

(17) श्री लालजीभाई

(18) श्री कुमार माझी

(19) श्री भगतराम राजाराम मनहर

(20) श्री मुरासोली मारन

(21) श्री प्रसन्नभाई मेहता

(22) श्री मोहम्मद युसुफ

(23) श्री मोहन स्वरूप

(24) श्री मोहम्मद शरीफ

(25) श्री बालकृष्ण वेंकन्नानायक

(26) श्री गुलजारी लाल नन्दा

(27) श्री तारकेश्वर पाण्डेय

(28) श्री प्रबोध चन्द्र

(29) श्री राम सूरत प्रसाद

(30) श्रीमती माया राय

(31) श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

(32) श्री अजीत कुमार साहा

(33) श्री सांगलियाना

(34) श्री चन्द्र शेखर सिंह

(35) श्री शंकर दयाल सिंह

(36) श्री के० सुब्बाबेलु

(37) श्री आर०वी० स्वामीनाथन्

(38) श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी

(39) श्री पी० वेंकटसुब्बैया

(40) डा० कर्ण सिंह

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 2 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गयी और 2 सितम्बर, 1974 को इस सभा को भेजी गयी इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित

हों और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 40 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किय जायें, अर्थात :—

(1) श्री अचल सिंह

(2) श्री तारोडकर वेंकटराव बावाराव

(3) श्री भगीरथ भंवर

(4) श्री वीरेन एंगती

(5) श्री बृजराज सिंह

(6) श्री वी० शंकर गिरि

(7) श्रीमती मारजोरे गौडफ्रे

(8) श्री अण्णा साहिब गोटखिडे

(9) श्री माधुर्य होलदार .

(10) श्री एम० एम० जोजफ

(11) कुमारी कमला कुमारी

(12) श्री तुलसी राम दशरथ कांबले

(13) श्री एम० कतामुतु

(14) श्री ए० के० किस्कु

(15) श्री ए०के० कोत्राशेट्टी

(16) टी० लक्ष्मीकान्तम्मा

(17) श्री लाजीभाई

(18) श्री कुमार माझी

(19) श्री भगतराम राजाराम मनहर

(20) श्री मुरासोली मारन

(21) श्री प्रसन्नभाई मेहता

(22) श्री मुहम्मद युसुफ

(23) श्री मोहन स्वरूप

(24) श्री मोहम्मद शरीफ

(25) श्री बाल कृष्ण बेंकन्ना नायक

(26) श्री गुलज़ारी लाल नंदा

(27) श्री तारकेश्वर पांडेय

(28) श्री प्रबोध चन्द्र

(29) श्री राम सूरत प्रसाद

(30) श्रीमती माया राय

(31) श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

(32) श्री अजीत कुमार साहा

(33) श्री सांगलियाना

(34) श्री चन्द्रशेखर सिंह

(35) श्री शंकर दयाल सिंह

(36) श्री के० सुब्राबेलु

(37) श्री आर० बी० स्वामीनाथन्

(38) श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी

(39) श्री पी० वेंकटासुब्बैया

(40) डा० कर्ण सिंह

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तेल उद्योग विकास (विधेयक)

Oil Industry (Development) Bill

अध्यक्ष महोदय: अब हम श्री देवकान्त बरुवा द्वारा 6 अगस्त, 1974 को रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे:

> "कि तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क उदगृहीत करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट दिये जायेंगे। 1½ घंटे पश्चात इसे गिलोटाइन कर दिया जाएगा।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालसोर): इस विधेयक का उद्देश्य तेल की खोज तथा पेट्रो-रसायन तथा संबद्ध उद्योगों की सहायता करना है। इससे अन्वेषण तथा विकास कार्यों में भी सहायता मिलेगी।

भारत को कच्चे तेल की बहुत आवश्यकता है। 1972 में 200 करोड़ रुपए का, 1973 में 500 करोड़ रुपए का तेल आयात किया गया। 1975 में तेल का आयात 1400 करोड़ रुपए का होने की संभावना है।

इस बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मालवीय समिति ने पहले ही तेल की अधिक खोज का निर्णय किया था।

भारत की मांग और अधिक कच्चे तेल की है। अरब देश तेल भंडार के कारण इतने अमीर हो गये हैं कि शायद सारे संसार को खरीद सकते हैं। आज विश्व भर में उर्जा संकट बना हुआ है।

महान वैज्ञानिक डा० भाभा ने बीस वर्ष पहले कहा था कि अगर भू-आणविक संमलन से प्राप्त ऊर्जा से बिजली पैदा करने की प्रक्रिया का विकास कर लिया गया, तो विश्व की ऊर्जा समस्या का समाधान हो सकता है । संगलन अनुसंधान के बारे में अमेरिका तथा अन्य विकसित राष्ट्रों ने भी प्रयास करना शुरू कर दिया है, जिससे इस संकट से छुटकारा पाया जा सके ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी संपूर्ण गतिशीलता का उपयोग करके इस निधि से अनुसंधान और शोध कार्य में धन खर्च करें जिससे अशोधित तेल की समस्या का समाधान हो सके । द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले जर्मनी और जापान ने कोयले के स्थान पर द्रव ईंधन का उपयोग करने की प्रक्रिया का विकास कर दिया था । हमें कोयले पर आधारित उद्योगों और पेट्रोलियम पर आधारित उद्योगों का अलग अलग विकास करना चाहिए । हमें कोयले से ईंधन तेल का उत्पादन करना चाहिए । हमें इस बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए ।

तेल निर्यातकर्ता देशों के संगठन के महा सचिव डा० खेना ने अभी हाल में भारत यात्रा की थी और इस देश की अशोधित तेल की आवश्यकता को यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया है । हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कितनी मात्रा में सहायता दी जायगी । मेरा निवेदन यह है कि अगर हम अशोधित तेल की खोज करें तो हम पेट्रोलियम की समस्या का समाधान कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहां तेल के विराट भंडार हैं ।

मंत्री महोदय को इस पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार द्रव ईंधन का निर्माण किया जाय और पैट्रोलियम पर आधारित उद्योगों के बजाय कोयले पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय ।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : It is very necessary to develop the oil industry. Oil has got great importance for the development of industries and agriculture. The committee had suggested the formation of a separate and autonomous Board for the development of oil industry. Forty-eight crores of rupees would be earned as revenue. But as a matter of fact, this Ministry has already got 700 crores of rupees as Budget provision. I do not favour formation of such a Board, because in future various Ministries would demand the formation of separate Boards such as Agriculture development Board, fertiliser development Board, Education development Board etc., and these Boards would levy taxes on these things.

It is the need of the hour to take up the exploration of oil on war-footing. The survey of minerals is undertaken only due to politicial pressure. Survey and exploration should be undertaken in other are also.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The oil Board is being setup with a view to increase the oil production. Almost every day it is being demanded that there should not be Railway Board. The Secretary of a Ministry does not possess power to spend even hundred rupees. whereas the Board's Secretary can spend 5 lakhs of rupees for making his room air-conditioned.

It is also being proposed to include one labour representative in the Board. If such a step is taken, many problems would arise such as representative of which union should be included in the Board and what would be method for selection. The proceeding as well as the decisions of the Board would be leaked out to the public. The workers are not happy anywhere. I do not know as to why the Honourable Minister does not want to take a lesson from the previous experience. I am totally opposed to the inclusion of labour in the Board. The Honourable Minister should withdraw such a move, otherwise it would be a total failure.

Shri Madhu Limaye (Banka) : In principle, I am against this Bill, because it would do away with the integrity of the budget. The work of oil exploration cannot be undertaken with a commercial view point. The Malviya Committee had also suggested a National Oil Exploration Fund, but you have covered whole of oil industry. I am afraid coal Industry may also levy tax for the development of coal industry and allied industries. Similarly, the steel Industry may also improve a separate levy. I would to therefore request the honourable Minister to reconsider this matter and limit the scope of this Bill to oil exploration only.

Bureaucracy would be expanded by this bill. The Mallaviya Committee had observed in its report that ONGC is burdened with a large army of unproductive or less productive labour. This is a serious problem and government should take steps to absorb a part of the surplus labour force in some new industry. I would, therefore, request that Government should have a long term planning while making recruitment in Government Departments.

When I had asked the Dy. P.M. of USSR about the refinery losses, he had said that there were negligible refinery losses in USSR. The honourable Minister had assured me that a Russian Technical is coming here and it would examine this issue of refinery losses.

It has been reported that our platform in Bombay High has gone out of order. I would like to ask the Honourable Minister about the present position of "Sagar Samrat" and whether oil exploration work would be taken up vigorously after the Monsoon is over ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : इस विधेयक के माध्यम से एक ऐसे बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जो अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर लगाकर धन एकत्रित करेगी । खण्ड 6 के अधीन तेल उद्योग के समुचित विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता देने की भी व्यवस्था है ।

इस समय की स्थिति बड़ी भयावह है । अब तक 1750 लाख टन तेल निक्षेपों का पता लग सका है । 600 लाख टन की हम पहले ही खपत कर चुके हैं और अब 1150 लाख टन तेल निक्षेप ही बाकी रहते हैं । इस दशाब्दी की समाप्ति तक हमारी उपयोग क्षमता बढ़कर 400 लाख टन प्रति वर्ष होगी और इस दर से वर्तमान तेल निक्षेप केवल 2 या ढाई वर्ष के लिए ही पर्याप्त होंगे । इसलिए तेल की खोज के लिए तीव्र प्रयास करने की आवश्यकता है ।

देश में 26 तलछटीय बैसिन हैं, इनमें 11 को इसलिए छोड़ दिया गया कि वे ताजे पानी के बेसिन है और सात को इस आधार पर छोड़ दिया गया है कि वे बहुत पुराने बेसिन हैं और उनसे तेल वाष्प रूप में उड़ चुका होगा । शेष में से केवल 2 अर्थात् खम्भात और आसाम के तेल क्षेत्रों को ही व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक पाया गया है । "एन्टी क्लाइनल" ढांचे भी बड़े उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं । चीन में ताजे पानी के बेसिनों से बड़े उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं । हमें भी ऐसे निक्षेपों के बारे में खोज करनी चाहिए ।

मूलभूत आंकड़ों के आधार पर हमें अन्तर बेसिन नीति का निर्धारण करना चाहिए । मूलभूत आंकड़ा संकलन की घोर उपेक्षा करने के कारण स्पष्ट नीति का निर्धारण नहीं हो सका है । बम्बई के निकट गहरे समुद्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है । यह काफी दुख की बात है । आंकड़ों के संकलन के लिए तीव्र प्रयास किये जाने चाहिए ।

तेल का पता लगना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । अगर तेल का पता लगने के बाद उसे ठीक प्रकार से निकाला नहीं जाता, तो सारा तेल क्षेत्र ही बरबाद हो सकता है । अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में पिछले वर्ष पचास कुएं सूख चुके हैं । तेल के स्तर को ऊंचा करने के लिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के आस पास भूमि के अन्दर पानी डाला जा रहा है, परन्तु कुछ भू-वैज्ञानिकों के विचार से इससे तेल अवरूद्ध हो जाएगा । कुछ क्षेत्रों में तो हम उत्पादक स्तर पर भी

नहीं पहुंच सके हैं । अपर्याप्त तेल सप्लाई का एक अन्य कारण "लीकेज" भी है । यह सौभाग्य की बात है कि बम्बई के गहरे समुद्र में चूने के पत्थर मिले हैं और इससे भारी मात्रा में वहां तेल उपस्थित होने की संभावना है । अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से 10 लाख टन गैस प्रति दिन प्राप्त होती है । इसमें से अधिकांश गैस का उपयोग उर्वरक और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है । इससे व्यापारिक और घरेलू उपयोग की भी काफी सम्भावनायें हैं ।

मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय के गतिशील नेतृत्व में तेल की खोज के बारे में गतिशील नीति अपनाई जायेगी ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : It has been stated in the objects and reasons of this Bill that due to international situation, vigorous efforts would have to be made for the exploration of oil. That is why this cess has been levied at the rate of Rs. 60/- per tonne on crude oil and a sum of Rs. 48 crores would be collected in this way. A board is proposed to be constituted for the oil exploration work. The political leaders, defeated in the elections and the sycophant bureaucrats would be appointed as members of the Board. One can very well see the affairs of the Railway Board. The oil industry would also go to the walls similarly. The representatives of workers and the oil consumers should also be included in the Board.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Dy Speaker in the Chair]

Two big powers wanted to solve their oil interests during the Arab Israel war, but after the war the Arab countries declared that they would not allow themselves to be exploited any more. We have not taken any inspiration from them. We could have nationalised the tea-estates owned by foreign companies which exploit our workers.

The cess on crude oil would make fertilisers. soaps and kerosene oil much more dearer. It is already very difficult to get all these things. The work relating to oil refineries such as Mathura and oil wells at Jaisalmer is very slow. These works are taken up only at the time of elections. I oppose levying of cess amounting to 48 crores of rupees.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए डेढ घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। 40 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं । इसलिए अब प्रत्येक सदस्य 5 मिनट का समय ही लेने की कृपा करें ।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित बोर्ड भारतीय इस्पात प्राधिकरण की तरह एक नियन्त्रक कम्पनी की भांति होगा ? आई० ओ० सी०, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, आसाम तेल कम्पनी की तरह अनेक कम्पनियों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है । क्या यह बोर्ड नियन्त्रक कम्पनी की तरह काम करेगा ?

अगर हमें तेल की भारी मात्रा में आयात को कम करना है, तो देश के अन्दर ही तेल की खोज करने संबंधी प्रयासों को तीव्र करना होगा । 140 लाख टन अशोधित तेल का आयात इस समय हमें करना पड़ता है । 1300 लाख टन के तेल निक्षेपों से हम 75 लाख टन तेल निकाल रहे हैं । 140 लाख टन अतिरिक्त तेल की खोज करने के लिए 2200 लाख टन तेल निक्षेपों की खोज करनी पड़ेगी ।

बोर्ड का यह कार्य नहीं है, बल्कि "तेल उद्योग" को शामिल करने के परिशोधन, भण्डारण, परिवहन, उर्वरकों के उत्पादन आदि सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है । इस प्रकार यह राशि

कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती है । तेल की खोज का काम पीछे पड़ जायेगा । मथुरा तेल शोधक कारखाने की तरह तेल शोधक क्षमता होगी और उर्वरक कारखाने होंगे, परन्तु देश के अन्दर पर्याप्त मात्रा में तेल न होने के कारण आयात करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा ।

बोर्ड में 13 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 नौकरशाह होंगे और 1 श्रमिकों का प्रतिनिधि होगा, जिसे नाम निर्देशित किया जायगा और इससे असंतोष फैलेगा । प्रौद्योगिकी विदों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

तेल की खोज की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था । कोयले से अशोधित तेल का निर्माण किया जा सकता है । बोर्ड में जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए । सारा बोर्ड ही एक नौकरशाही संगठन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : उपकर लगने से या बोर्ड का गठन करने से तेल की समस्या हल होने वाली नहीं है ।

आसाम और गुजरात के बाद दो क्षेत्रों में ही 1000 लाख टन तेल भण्डार हैं और उसमें से केवल 75 लाख टन का ही उत्पादन हो पाता है । यह है आपकी योग्यता का नमूना ।

पश्चिम बंगाल में बोहरा में तेल के कुएं खोदे गए थे, परन्तु विदेशी पूंजीपतियों के दवाब में आकर उनका काम अचानक बन्द कर दिया गया, क्योंकि वे पूंजीपति हमारे तेल उद्योग के विकास के विरुद्ध हैं ।

1974 में कुल आयात का 50 प्रतिशत तेल आयात करना होगा । खाद्यान्न और तेल के आयात पर ही सारी विदेशी मुद्रा खर्च हो जायेगी ।

समाजवादी देशों में यह समस्या नहीं है । चीन में 1000 लाख टन तेल उत्पादन होता है और वे अब निर्यात करने की स्थिति में आ पहुंचे हैं ।

पश्चिम बंगाल तथा कच्छ में तट-दूर ड्रिलिंग की बहुत संभावना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यह कार्य आसानी से कर सकता है । यह कार्य खुद करने की बजाय उन्होंने काल्टिपबर्ग नामक कम्पनी को सौंप दिया है ।

मुझे बताया गया है कि वह एक जाली वित्तीय कम्पनी है । तेल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है । उसका खोज कार्य का कोई अनुभव नहीं है । एक अन्य कम्पनी रीडिंग एण्ड बेट्स है । वह भी जालसाजों की है । इस कम्पनी ने बर्मा में सभी तेल प्लेटफार्मों को नष्ट कर दिया । कच्छ में भी वह यही काम करेगी । एस्सो को नियंत्रण में लेने से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में अतंर्ग्रस्त हैं । जापान, फ्रांस और इटली की सरकारी कम्पनियों की पेशकश की उपेक्षा क्यों की गई है ?

इस कम्पनी के साथ केवल 10 लाख डालर का करार हुआ है । यह बहुत छोटी धनराशि है । किन्तु तेल की कोई गारंटी नहीं दी गई है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 100 करोड़ रुपये से उतना धन आसानी से कमा सकता है ।

हमारी सरकार का विदेशी कम्पनियों के साथ बहुत अनुराग है । इनके व्यापार से हुई आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाता । (**व्यवधान**)

जे० सी० बोस समिति ने वर्षों पहले अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था । इस प्रतिवेदन को दबाकर क्यों रख दिया गया है ? जब तक मंत्री महोदय अपने आपको विदेशी तेल एकाधिकार कम्पनियों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर लेते, तब तक वे कुछ नहीं कर पायेंगे और देश की अर्थ-व्यवस्था इसी तरह नष्ट होती रहेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : यह विधेयक तेल उद्योग के विवाद के लिए एक बोर्ड स्थापित करने तथा कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से पेश किया गया है । किन्तु प्रायः यह कहा गया है कि बोर्ड नितान्त निरुप्रभावी सिद्ध हुआ हैं । अतः इस विधेयक में प्रस्तावित बोर्ड प्रभावशाली होना चाहिये और उसे समुचित ढंग से कार्य करना चाहिये ।

यदि पदावधियों, रिक्त स्थानों को भरने के तरीके तथा बोर्ड के कार्यों का निर्धारण कर दिया होता तो बेहतर था, जिससे हम इन पर अधिक व्यापक रूप से चर्चा कर सकते । बेहतर यह होगा कि इस बोर्ड का चेयरमैन किसी आई० ए० एस० अधिकारी के स्थान पर कोई उप मंत्री हो । मैं नहीं समझता कि बोर्ड को इतनी व्यापक शक्तियां देकर कोई लाभ नहीं होगा । विधेयक के खंड 4 में उपबन्धित है कि जो लोग बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उन्हें बोर्ड के कार्यों को करने अथवा बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये तदर्थ समितियों के गठन की व्यापक शक्तियां दी गई हैं । ये तदर्थ समितियां बिलकुल भी आवश्यक नहीं हैं । इनकी नियुक्ति से केवल सरकारी धन का दुरुपयोग होगा ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा (खम्मम) : जब काफी तेल की खोज की जाती है तो यह कार्य अधिकांशतः उत्तरी क्षेत्र में ही किया जाता है, दक्षिण में गोदावरी नदी की घाटी तेल के मामले में बहुत धनी है । सोवियत दल ने एक प्रतिवेदन पेश किया है कि गोदावरी घाटी में तेल उपलब्ध है । किन्तु वहां अब तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बोर्ड में देश के सभी भागों के लोग हों, विशेषकर दक्षिण भारत को आवश्यक प्रतिनिधित्व दिया जाय । तेल की खोज के मामले में दक्षिण भारत के साथ न्याय किया जाना चाहिये । हमें देश के सभी भागों का समान रूप से विकास करना चाहिए ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देबकान्त बरुआ): सदस्यों ने विधेयक के संबंध में कई महत्व-पूर्ण बातें उठाई हैं । वे देश में तेल उद्योग के विकास के मूलभूत स्वरूप से भी संबंधित हैं । अतः उन पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है ।

मैंने अपने भाषण में कहा था कि किन्ही कारणों से यह राशि अनिवार्य है । योजना आयोग ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पांच साल के लिए तेल की खुदायी के लिए 675 करोड़ रुपया आवंटन किया है । मालवीय समिति ने कहा था कि 10 वर्ष के लिये तेल खुदायी हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये । 675 करोड़ के अतिरिक्त लगभग 260 करोड़ रुपये उसे और मिलेंगे और यह राशि भारत सरकार द्वारा उक्त आयोग के लिए नियत राशि के अतिरिक्त होगी ।

ऐसा क्यों है ? जब मालवीय समिति ने इस प्रश्न की जांच की, तब अशोधित तेल का मूल्य प्रति बैरल 2 डालर था । इस समय यह 11 डालर से भी अधिक है । जब मैंने इस मंत्रालय का कार्य-भार संभाला था तब 200 करोड़ रुपये का कुल व्यय होता था जो अब लगभग 1200 करोड़ रुपये है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि हम इस मद पर अधिक खर्च न करें । मालवीय समिति ने अधिकतर तटदूर खुदाई के बारे में उल्लेख किया है परन्तु उसने यह सुझाव नहीं दिया कि क्या किया जाना

चाहिए । उन्होंने जो कुछ सुझाव दिया वह तट पर खुदाई के बारे में है । हम बाहर से तेल मंगा सकते थे । मूल्य-वृद्धि के बाद धन मिलने में कठिनाई हो गई है । हमें इसके लिये आत्म-निर्भर होना है। हमें तेल का उतना उत्पादन करना है जितना हम कर सकते हैं । अब हमारी यही नीति है । पहली बात यह है कि हमें तट पर खुदाई कार्य में विस्तार करना है । हमें तटदूर खुदाई को भी व्यापक बनाना है ।

हमारा जितना भी उत्पादन है उसका उपयोग किया जाना चाहिए । आसाम में गैस का उत्पादन होता है । हम उस गैस का उपयोग नहीं करते है । गैस अशोधित तेल से अधिक उपयोगी है । हमें बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने का भी विस्तार करना है । इस विधेयक का यही ध्येय है ।

माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि इसका क्या कारण है कि हमने यह कार्य नौकरशाहों पर छोड़ दिया है । वे नौकरशाह नहीं हैं । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल निगम के चेयरमैन नौकरशाह नहीं हैं । एक दो को छोड़ कर शेष सभी तेल कम्पनियों में 'टेक्नोक्रैट' हैं ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वह एक वित्तीय निकाय है । यह निकाय संसाधनों का वितरण करता है । तेल उद्योग के विकास के लिये तत्काल आवश्यकता देयता बन गई है ।

हमने अपने मंत्रालय में यह निर्णय किया है कि प्रबन्धक बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । जिस देश में प्रौद्योगिकी का अधिक विकास नहीं हुआ है वहां श्रमिकों के द्वारा ही धन उत्पन्न किया जाता है । अतः मैंने सोचा कि श्रमिकों को आरंभ से ही, न केवल उत्पादन स्तर पर अपितु निर्णय करने के स्तर पर भी, साथ मिलाया जाये तो बेहतर होगा ।

श्री चन्द्रप्पन ने बहु-राष्ट्रिकों का प्रश्न उठाया है । यह सच है कि बहु-राष्ट्रिक न केवल भूतपूर्व औपनिवेशिक देशों में ही अपितु विकासशील तथा विकसित देशों में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आज पूंजीवादी समाज में धन और राजनीति दोनों आपस में मिले हुए हैं । अत : हमें अधिक सतर्क रहना है । बम्बई में तटदूर खुदाई के लिये हमने दो कम्पनियों को ठेके दिये हैं जो बहुत बड़ी कम्पनियां नहीं हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रश्न उठाया कि अमरीकी व्यक्तियों को ठेका क्यों दिया गया है । केवल अमरीका ने तटदूर खुदाई में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है ।

इस उद्योग में हमने तीन कार्य किये हैं । पहला तटदूर खुदाई है । सागर सम्राट बहुत अच्छी तरह चल रहा है । हमें इससे बहुत आशाएं हैं ।

श्री मधु लिमये ने तेलशोधक कारखानों के घाटे के बारे में प्रश्न किया । हमारे देश में तेल शोधक कारखानों में लगभग 7 प्रतिशत हानि हो रही है जो बहुत अधिक है । हमने इस मुद्दे पर रूसी इंजीनियरों से बातचीत की है ।

'बिटुमेन' (तारकोल) के उत्पादन के बारे में प्रश्न उठाया गया है कि क्या हम आसुत, माध्यम प्रकार का आसुत या और अधिक ईंधन तेल प्राप्त कर सकते हैं ? हमने इस पर बातचीत की और हमने रूस वालों से कहा कि वे अपना एक दल यहां भेजें । वह दल 9 सितम्बर को यहां आ जायेगा । वह दल तेलशोधक कारखानों का दौरा करेगा और हमें रूप-रेखा देगा, जिसके आधार पर हम इस मामले में आगे विचार करेंगे ।

यदि मथुरा तेलशोधक कारखाना 'हाइड्रोक्रैकर' का प्रयोग करे तो हमें 51 प्रतिशत मध्यम प्रकार का आसुत मिल सकता है ।

श्री सिंह ने अंकलेश्वर के बारे में प्रश्न उठाया । जब कुएं सूख जाते हैं तो उनमें तेल को बहता हुआ रखने के लिये 'रिजर्व लेबल इंजीनियरिंग' नामक पद्धति अपनाई जाती है ।

तटदूर खुदाई के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण आवश्यक है । हमारे पास भूकम्पीय सर्वेक्षण करने वाला पोत नहीं है । हमने सोवियत संघ के एक पोत का प्रयोग किया है । इसके आंकड़ों का अर्थ निकालना होता है और उन्हें समझना होता है । अत: हमारे लोगों को इस कार्य का प्रशिक्षण पाना है । हमने एक भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत का क्रयादेश दिया है। वह पोत जनवरी या फरवरी 1975 में आने वाला है और तभी हम शीघ्रता से सर्वेक्षण कर सकेंगे ।

इस समय हम 200 मीटर तक खुदाई कर सकते हैं जबकि अमरीका तथा अन्य देशों में 1800 फुट तक खुदाई की जाती है । इस कार्य के लिये न केवल महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का ही अपितु गहरे समुद्र का भी उपयोग किया जाता है । इस विधेयक के पारित होने के साथ ही हम पर्याप्त संसाधन जुटा सकेंगे ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तट पर तथा तटदूर खुदाई के लिये पहले ही 675 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है ।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना । श्री बसु ने कार्ल्सबर्ग, रीडिंग और बेट्स के बारे में कुछ कहा । मेरे पास पूरे रिकार्ड हैं । मैं ये उन्हें दे सकता हूं । कार्ल्सबर्ग इंडोनेशिया में और रीडिंग एण्ड बेट्स वर्मा में कार्य कर रही है । जो दो प्लेटफार्म नष्ट हुए थे वे तूफान से नष्ट हुए थे और ये उनकी अपनी सम्पत्ति थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में समय की पाबन्दी नहीं रख पाये हैं । 2 बज कर 26 मिनट हो गये हैं और हमें खंडवार विचार करना है । मैं श्री चन्द्रप्पन और श्री श्यामनन्दन मिश्र के संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54 और 55 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 54 and 55 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेल उद्योग के विकास के लिये एक बोर्ड की स्थापना के लिये और उस प्रयोजनार्थ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत करने और उससे सम्बद्ध मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 2 पर विचार करेंगे । क्या कोई संशोधन प्रस्तुत किये गए हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 31, 32 और 33 प्रस्तुत करता हूं।

Why "mineral" is not substituted by "crude" ? What objection the hon. Minister has to this ?

Shri D. K. Borooah : If it is done, other items will not come within its scope.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31,32 और 33 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 31, 32 and 33 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 3 पर विचार करते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 और 28—

"One of the members referred to in clause (a) of sub-section (3) as"

का लोप कर दिया जाये । [पृष्ठ 3 पर पंक्ति 23 और 24 **के स्थान पर** "(4) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी । **प्रतिस्थापित किया जाये ।**)]

(संख्या 42)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन संख्या 43 से 46 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकान्त बरूआ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 23 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"(d) two members of whom one shall be appointed by the Central Government from amongst persons who, in the opinion of that Government, have special knowledge or experience of oil industry and the other shall be appointed by that Government to represent labour employed in the oil industry;"

["(घ) दो सदस्य जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राय में, तेल उद्योग की विशेष जानकारी या अनुभव है और दूसरा उस सरकार द्वारा तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त किया जायेगा ;"]

(संख्या 66)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ग्रौसग्राम) : मैं संकल्प का विरोध करता हूं । गुजरात में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त है फिर भी सत्ता के लिये ग्रापसी वैमनस्य के कारण वहां जनता की समस्याग्रों की ग्रोर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

Shri Ramavatar Shastri : It has just been stated :

"Not more than 5 members to be appointed....."

I want "5" should be substituted by "3". Why are they taking this power in their hands ? They will nominate a person as Chairman who will work as their rubber stamp. The members should themselves elect the Chairman.

श्री मूलचन्द डागा : तेल उद्योग के विशेषज्ञ या इस क्षेत्र में विशेष जानकारी या ग्रनुभव प्राप्त व्यक्तियों में से ही चेयरमैन की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

जब पहले से ही बोर्ड बना हुग्रा है तो उप-समिति की क्या ग्रावश्यकता है ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : मेरे संशोधन का ग्राशय मंत्री महोदय के संशोधन संख्या 66 में ग्रा गया है ।

श्री देवकान्त बरुग्रा : श्री शास्त्री ने कहा कि चेयरमैन नियुक्त किये जाने के बजाय चुना जाना चाहिए । यह महत्वपूर्ण मामला है । वह सरकारी धन का लेन-देन करता है । उसका चयन ध्यानपूर्वक करना होता है । यह केवल तकनीकी निकाय ही नहीं है ग्रपितु, वित्तीय निकाय भी है । एक व्यक्ति प्रशासक भी हो सकता है तकनीकी भी ।

मैं श्री बी० वी० नायक का संशोधन संख्या 42 स्वीकार करना चाहता हूं । शेष सभी सदस्य ग्रपने संशोधन वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 ग्रौर 28

"One of the members referred to in clause (a) of sub-section (3) as"

का लोप किया जाये तथा विधेयक के ग्रनूदित संस्करण में पृष्ठ ऊपर पंक्ति 23 ग्रौर 24 **के स्थान पर** ['(4) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का ग्रध्यक्ष नियुक्त करेगी" **प्रतिस्थापित किया जाये**]

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ, 3 पंक्ति 23 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

"(d) Two members of whom one shall be appointed by the Central Government from amongst persons, who, in the opinion of the Government have special knowledge or experience of oil industry and the other shall be appointed by the Government to represent labour employed in the oil industry."

(घ) दो सदस्य जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राय में, तेल उद्योग की विशेष जानकारी या अनुभव है तथा दूसरा उस सरकार द्वारा तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त किया जायेगा ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड तीन के लिये श्री स्वर्ण सिंह सोखी, श्री रामावतार शास्त्री, श्री मूल चन्द डागा के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended was added to the Bill.

खंड 4, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, was added to the Bill.

खंड 5

Clause 5

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, was added to the Bill.

खंड 6

Clause 6

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 30, 34, 35 और 36 प्रस्तुत करता

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30, 34, 35 और 36 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendment Nos. 30, 34, 35 and 36 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7, 8 और 9 के लिये संशोधन पेश नहीं किये गये है । खण्ड 10 से 14 तक कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, 8, 9 अ 10 से 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 8, 9 और 10 से 14 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 7, 8, 9 and 10 to 14 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 के लिये राजा कुलकर्णी का एक संशोधन है । वह उपस्थित नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खंड 16

Clause 16

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 51 और 52 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 और 52 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendment Nos. 51 and 52 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खंड 17

Clause 17

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 53 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खंड 18 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 18 to 22 were added to the Bill.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 20

" Six months" "(छ माह)" शब्दों के स्थान पर " one year " "(एक वर्ष)" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

(संख्या 37)

"One thousand rupees" "(एक हजार रुपये)" शब्दों के स्थान पर "five thousand rupees" "(पांच हजार रुपये)" शब्द रख दिये जायें।

(संख्या 38)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 1 में--

"Six months" "(छ माह)" शब्दों के स्थान पर "one year" "(एक वर्ष)"" शब्द रख दिये जायें ।

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The amendment was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब में संशोधन संख्या 38 मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 2--

"One thousand rupees" "(एक हजार रुपये)" शब्दों के स्थान पर "five thousand rupees" " "(पांच हजार रुपये)" शब्द रख दिये जायें ।

संशोधन स्वीकार किया गया ।

The amendment was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 23, संशोधित रूप में. विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 23, as amended , was added to the Bill.

खंड 24 से 31 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 24 to 31 were added to the Bill.

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the long Title were also added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : क्या मंत्री महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अध्यक्ष पीठ से अनुमति ले ली है । विधेयक पारित करने के प्रस्ताव उस दिन ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस दिन विधेयक पर विचार पूरा हुआ हो । क्या उन्हें इस नियम का पता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को अनुमति दे दी है । श्री डी० एन० तिवारी ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, I would like to point out the besides, production and development we should ensure equitable distribution. If it is not there will be frustration and disappointment. Rural people are not getting their equal share in distribution of various things and this state of affairs is leading to frustration. Every state, every region should get its due.

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the Kerosene oil should be made available at all places at reasonable prices and in adequate quantity the election of the members of the Board and the representatives of workers should be fair and honest.

Shri D. K. Borooah : As regards distribution of oil, we will make all the efforts to ensure equitable distribution but there are certain difficulties. There are no rains in the country and, therefore, Diesel oil is needed most. Diesel and Kerosene oil are produced from the same kind of crude. Under these circumstances we are bound to produce Kerosene oil in less quantity as compared to that of diesel.

In Bombay, there is acute shortage of fuel. We are to make arrangements for the distribution of Coal and Kerosene oil there.

As regards the representative of the workers we will try to see that in future, the representative of workers is elected honestly.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75

Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सर्वप्रथम श्री रामावतार शास्त्री के कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : श्रीमन् मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 47 पर बल देना चाहता हूं ।

वित्त मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
38	47	पी० जी० मावलंकर	देश के सूखे से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिये बड़े पैमाने पर तुरन्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All the cut motions were put and negative

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुयीं ।

The following Supplementary Demands for Grant (General) were put and adopted.

वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)
की सूची जो सभा में मतदान के लिए रखी जायेगी

(देखिए 29 अगस्त, 1974 की पुनरीक्षित कार्य सूची)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
	कृषि मंत्रालय		
8	खाद्य विभाग	1,25,00,00,000	..
	रक्षा मंत्रालय		
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना	67,10,00,000	..
20	रक्षा सेवाएं—जल सेना	1,60,00,000	..
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	6,30,00,000	..
	वित्त मंत्रालय		
38	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,000	
	औद्योगिक विकास मंत्रालय		
58	उद्योग		8,55,53,000
	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		
65	विद्युत योजनाएं	..	7,90,00,000
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		58,60,00,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
76	बन्दरगाह, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन	1,85,00,000	18,75,00,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
78	इस्पात विभाग	..	57,00,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974

Appropriation (No. 3) Bill, 1974

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष, 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों ने तीसरे वाचन में बोलने के लिए नोटिस दिया है । मेरा उनसे अनुरोध है कि वे 5–5 मिनट लेकर अपनी बात कह दें ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The price of wheat in the surplus states, like Punjab and Haryana, has been fixed at Rs. 150 per quintal. But the traders of these States, who have full patronage of the Government, are demanding Rs. 50 per quintal as "on money". The U.P. cooperative societies are keen to purchase wheat but they have been told that they will have to pay Rs. fifty as "on money". It is really difficult for the cooperative societies and others to meet this illegal demand.

A huge quantity of wheat is exported outside these States, crores of rupees are involved in it. I would like the hon. Food Minister to clarify this point.

There have been starvation deaths in Assam and Bihar. A demonstration was held at Gaya under the leadership of Shri Jagdev Prasad, an ex-Minister of Bihar. They were demanding food, but that demonstration was brutally fixed at by the Police, in which Shri Jagdev Prasad died.

In Bihar, more than 60 ordinances have been promulgated, out of which only 8 were considered in the form of Bills and later enacted. Other ordinances are being repromulgated after the expiry of the term. It is undemocratic. The Minister for Home Affairs should look into it.

As regards the price of Naptha, the Government has admitted their mistake. This proves that there is someting wrong with the price fixing machinery of the Government. Government is either corrupt or lives in an ivory tower.

The hon. Minister, Shri Ganesh, was planning to organise a dharna or "Satyagraha" against smugglers. I would like to submit that no purpose can be served by organising a dharna or a satyagraha. The Government has necessary power in its hands. It should use it effectively against the smugglers.

Lastly, I want to know when the Government has taken a decision to use 80 to 90 C.S. Viscosity oil in our naval vassels ? How is it that Shri Shiva Rao has taken an arbitrary decision to use 100 C.S. Viscosity oil ? I am surprised as to why no action has been taken by the Government against this Officer. The hon. Minister should clarify this point also.

***श्री बी० एन० रेड्डी** (निरयालगूडा) : सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियां पूर्णतया असफल रही हैं । सरकार किस उद्देश्य हेतु अधिक धन की मांग कर रही ? इस धन का प्रयोग जनकल्याण हेतु नहीं किया जा रहा । चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, विकास दर में 5 प्रतिशत

*तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

की वृद्धि होने की संभावना थी लेकिन अब वह केवल 2 प्रतिशत वृद्धि की आशा कर रहे हैं। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि विकास दर में कमी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने जनता का भला नहीं किया।

सरकार अनाज का आयात करने पर विचार कर रही है। यह एक खतरनाक नीति है। हमें 50 लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। सरकार की नीतियों के कारण स्थिति यह हो गई है कि हमें लोगों के लिए अनाज का आयात करना पड़ रहा है। सरकार की खाद्य नीति बिल्कुल असफल रही है और खाद्यान्न के आयात से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

सीमेंट, अल्युमीनियम और अन्य उद्योगों के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई है।

वर्तमान स्थिति के लिए मैं सरकार को पूर्णरूपेण जिम्मेदार ठहराता हूं। सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए आमूल परिवर्तन न करके, पुराने तथा घिसे-पिटे उपाय अपना रही है। परिणामस्वरूप, अपने देश की जनता के भरण-पोषण हेतु हमें बाहर के देशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा है। सरकार देश के 50 करोड़ लोगों की अनाज जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं न पूरी करके, उनके जीवन से खेल रही हैं। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

सरकार ने हाल ही में जमाखोरी रोकने का आन्दोलन चालू किया है, लेकिन यह तथाकथित जमाखोरी रोकने का कार्य मात्र जनता की आंखों में धूल झोंकना है। आंध्र प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में अनियमितताएं और कदाचार व्याप्त है। इस संबंध में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पुलिस के सब-इंस्पैक्टर श्री वेगल राव ने एक पंचायत समिति के अध्यक्ष को नोटिस दिया है कि वह लोगों के बीच में न जाए, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

दिजाग इस्पात संयंत्र के संबंध में अभी तक कुछ प्रगति नहीं हुई। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने 1971 में किया था। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बी० बी० नगर–नदीगुडी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को भी शुरू नहीं किया गया। यद्यपि इसका उद्घाटन भी 1971 में किया गया था।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री गणेश से यह जानना चाहता हूं कि 22 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली मंहगाई भत्ते की दूसरी और तीसरी किस्त की क्या स्थिति है। मंहगाई भत्ते की पहली किस्त की घोषणा पहली अप्रैल, 1974 में की गई थी। दूसरी किस्त जून 1974 से देय थी और अब तक कोई घोषणा नहीं की गई। राशि का 50 प्रतिशत तो पहले ही अनिवार्य जमा खाते में डाल दिया गया है। महंगाई भत्ते की तीसरी किस्त पहली अगस्त, 1974 से देय है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मामले में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

मुझे बताया गया है कि सरकार मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन करने वाली है । सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है । अध्यापक वर्ग भूखा मर रहा है । लोग अनाज की एक बाल्टी के पीछे अपने बच्चों को 5-5 रूपये में बेच रहे हैं । इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ?

क्या सरकार वास्तव में मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिवर्तन करने जा रही है ? दूसरे, हमें यह भी बताया जाए कि उन सरकारी कर्मचारियों, लेखा परीक्षा कर्मचारियों, डाक तथा तार कर्मचारियों, आयकर विभाग के कर्मचारियों के बारे में क्या किया गया है जिनकी 10 मई की रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं या जिन्हें निलंबित कर दिया गया था। जब श्री बाजपेयी ने इस मामले को उठाया तो श्री चव्हाण ने कहा था कि यह इस विषय पर महालेखा परीक्षक से बातचीत करेंगे, ताकि इन कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया जा सके । कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया गया ।

भविष्य निधि कर्मचारियों के बारे में यह निर्णय किया गया था कि उन्हें विशेष वेतन मिलेगा और श्रम मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी, किन्तु खेद की बात है कि वित्त मंत्री इसकी स्वीकृति नहीं दे रहे । उक्त विभाग के कर्मचारी इस महीने की 17 या 18 तारीख से हड़ताल करने वाले हैं । वित्त मंत्री उनको ठीक वेतन क्यों नहीं देना चाहते ?

आज कृषि मंत्री ने अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और अत्यावश्यक वस्तुओं के अभाव के बारे में एक वक्तव्य दिया है । उन्होंने मूल्यवृद्धि के लिए मुद्रास्फीति और उत्पादन में कमी को जिम्मेदार ठहराया है । साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण लोगों ने वस्तुओं के स्टाक रखने शुरू कर दिए हैं और लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि भविष्य में हर वस्तु का अभाव होगा, और इससे कमी का वातावरण उत्पन्न हो गया है । लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है ? आप जानते हैं कि अत्यावश्यक वस्तुओं, चीनी, चावल, गेहूं इत्यादि का क्या मूल्य है ? कलकत्ता में कानूनी राशन व्यवस्था विफल हो चुकी है । जो लोग चावल लेने के लिए लाइन में इंतजार करते हैं उन्हें चावल के बदले हाथ में पर्ची दी जाती है और कहा जाता है कि जब चावल आएगा, आकर ले जाना । मंत्री महोदय स्वयं जाकर बाजार की स्थिति को देखें। कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है । सरकार को कोई शर्म नहीं रही है ।

दिल्ली पुलिस को ही लिजिए । कल दिल्ली पुलिस ने आई० आई० टी० के अध्यापकों और विद्यार्थियों को बड़ी बेरहमी से पीटा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सामान्य चर्चा बना रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह सामान्य वाद-विवाद है। पुलिस द्वारा अध्यापकों और विद्यार्थियों को बेरहमी से पीटा गया और मामले की जांच कराने के लिए भी नहीं कहा गया। गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें कि विद्यार्थियों को क्यों पीटा गया । उन्हें पुलिस के विरूद्ध अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए ।

***श्री के० सुर्य नारायण** (एलूरु) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार राज्यों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाखों-करोड़ों रूपये दे रही है, किन्तु राज्य सरकारों द्वारा इस राशि का

*तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

उचित उपयोग नहीं किया जा रहा । मैं यह महसूस करता हूं कि यदि बैंक ही अपनी राशि का उचित उपयोग करते तो यह खाद्य समस्या कभी न उत्पन्न होती ।

मेरा अनुरोध है कि कृषकों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सहायता दी जाए। सरकार को कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहिए । उनकी वित्तीय स्थिति को देखना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए ।

आंध्र प्रदेश में किसान लोग बिजली और खाद के लिए धन के अभाव में बहुत कठिनाई में हैं । केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश के किसानों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए । इस वर्ष आंध्र-प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार को 6 लाख टन अनाज दिया है । इसकी तुलना में केन्द्रीय सरकार ने राज्य को बहुत कम सहायता दी है । आंध्र प्रदेश के पृथकतावादी आन्दोलन से हम सब अवगत हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस आन्दोलन के शिकार हुए व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा दे ।

सरकार को आंध्र प्रदेश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिएं । इसी उद्देश्य हेतु भूमि सुधारों के संबंध में समिति बनाई गई थी । वास्तव में समितियों की कमी नहीं है । केन्द्र सरकार को देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहिए । मेरे राज्य में स्टेट बैंक ने एक धर्म संस्थान को 4 लाख रूपये का ऋण दिया है। मुझे ऋण देने पर आपत्ति नहीं, न ही इस संबंध में मैं प्रश्न कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि का उपयोग उत्पादन बढ़ाने हेतु अथवा किस अन्य उद्देश्य हेतु किया जा रहा है । आप कृपया इसकी जांच कराएं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : देश में आर्थिक स्तर नीचा होता जा रहा है। इसके कारण स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने संबंधी योजनाएं बन रही हैं । मैं मानता हूं कि यह उचित नहीं है ।

महाराष्ट्र सरकार के एक उद्योग निदेशालय ने एक परिपत्र में अपने कार्यालयों को लिखा है कि गैर-प्रबंध संबंधी 80 प्रतिशत पदों और प्रबंध संबंधी 50 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए ।

कर्नाटक सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1973 को जारी किए गए एक परिपत्र में भी यह कहा गया है कि रोजगार कार्यालय से स्थानीय लोगों के नाम आएंगे । यही स्थिति बिहार और पश्चिम बंगाल की है । इस प्रकार ये आम बात है और केवल तमिलनाडु के मामले में यह बात नहीं है ।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कांतम्मा (खम्मम) : श्री के० डी० मालवीय ने विशाखापत्तनम में कहा है कि इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित भूमि पर फसल बोई जाएगी । क्या इस संयंत्र को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा ? आंध्र के लोग यही पूछ रहे हैं । इस संयंत्र की सिफारिश एक आंग्ल-अमरीकी सार्थ संघ ने की थी । उसके अनुसार, पांचवें इस्पात संयंत्र के लिए यह उपयुक्त स्थान है । इसके लिए बड़े बड़े आन्दोलन भी हुए थे । क्या केवल इसी कारखाने के लिए धन नहीं है ? कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रत्येक घर में 10 तोले से अधिक सोना नहीं

रखा जा सकता । इस कथन के कुछ भ्रामक अर्थ लगाये जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मुझे केवल दो मिनट में अपनी बात कहनी है । मेरा प्रथम निवेदन यह है कि तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र गत आठ दिन से बंद पड़ा है । इसकी मशीनरी आदि की उपयुक्त जांच की जानी चाहिये ताकि महाराष्ट्र तथा गुजरात को की गई बिजली की कटौती समाप्त की जा सके ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है । इसके बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये । तीसरी बात मुझे पुलिस तथा जनता के बीच के परस्परिक संबंधों के बारे में कहनी है । पुलिस को इसका उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि उसे किन परिस्थितियों में बल का प्रयोग करना चाहिये । पुलिस को दलित जनता की सहायता करनी चाहिये ।

चौथी तथा अन्तिम बात मुझे इस्पात के आबंटन के बारे में कहनी है । यह बात इस सदन में भी तथा बाहर भी अनेक बार कही जा चुकी है कि इसके आबंटन में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): श्री मधु लिमये ने हरियाणा और पंजाब में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ एजेंसियों द्वारा किये जा रहे भुगतान का प्रश्न उठाया गया है । जांच करने पर हमें यह मालूम हुआ है कि यह मामला खाद्य मंत्रालय द्वारा पहले ही राज्य सरकारों के साथ उठाया जा चुका है। इस संबंध में यह भी पता चला है कि कुछ लोग 195 रुपये प्रति क्विंटल ले रहे हैं जबकि कानूनी तौर पर अधिकतम मूल्य 150 रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त जो अन्य विशिष्ट प्रश्न उठाये गये हैं उनमें से एक भुखमरी के कारण होने वाली मौतों के बारे में भी है! इसके बारे में कृषि मंत्री द्वारा सदन में वक्तव्य दिया जा चुका है। इसी प्रकार नेफथा के बारे में मेरे वरिष्ठ साथी ने काफी विस्तारपूर्वक स्थिति स्पष्ट कर दी है।

इनके बाद एक प्रश्न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की सातवीं और आठवीं किश्त के बारे में भी उठाया गया है। यह किश्त जून और जुलाई में देय है तथा यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्या ने सोने के बारे में मेरे किसी वक्तव्य का उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि मैंने इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। वैसे इस संबंध में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय में केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर अब विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारतीय संचित निधि में से कतिपय और राशियों के भुगतान तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये"

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गुजरात के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के संबंध में सांविधिक संकल्प

Statutory Resolution Re : Continuance in Force of the President's Proclamation in respect of Gujarat.

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय श्री उमाशंकर दीक्षित के नाम से है परन्तु वह यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मिर्धा ने अभी उनके बारे में आप को स्लिप भेजी है। मेरा निवेदन है कि श्री दीक्षित को सदन में उपस्थित होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी अन्य मंत्री को भी अपने स्थान पर भेज सकते हैं। हमारा संबंध सदन की कार्यवाही चलाने से है। श्री सेझियान ने मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये लिख भेजा है। श्री सेझियान आप अपना प्रश्न प्रस्तुत कीजिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरे प्रश्न का संबंध इस सदन की संवैधानिक तथा वित्तीय अधिकारों से सबंध है। अब हम गुजरात के बारे में राष्ट्रपति आदेश पर विचार करने जा रहे हैं। अब इस सभा ने विधानसभा के कृत्यों को संभाल लिया है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि इस सभा के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों का दमन किया गया है।

अब जरा तथ्यों को लीजिये। गुजरात राज्य 9 फरवरी 1974 से राष्ट्रपति के शासन के अधीन आया था। राज्य के कुछ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, आकस्मिक निधि में से 10.38 करोड़ रुपये की धनराशि निकलवाई गई। सामान्य नियमों के अनुसार इस धनराशि को संबंधित विधानसभा की अगामी बैठक से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिये था। अतः जब इस सभा ने ही विधानसभा के कृत्य संभाल लिये थे तो उन्हें 31 मार्च 1974 से पहले इस सभा में आकर गुजरात की निधि को पूरा करवाना चाहिये था। 14 जून 1974 को इन्होंने राष्ट्रपति का आदेश जारी कर राज्य की आकस्मिक निधि को पूरा करने के लिए संचित निधि में से 10.38 करोड़ रुपये निकलवा लिये।

25 मार्च 1974 के गुजरात के अनुपूरक बजट पर इस सदन में चर्चा हुई। 9 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक उनके पास काफी समय था तथा इन राशियों को नियमित किया जा सकता था परन्तु सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यह इस प्रतीक्षा में रहे कि अब कब सभा अनिश्चित काल तक स्थगित हो। जून में यह आदेश पास किया गया था। तब से अब तक दो सत्र बीत गये हैं परन्तु इसे नियमित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। अब इसे 1974-75 की अनुदानों में शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसे 31-3-1974 से पहले ही किया जाना चाहिये था।

अब वास्तविकता यह है कि सरकार ने ऐसे सभी अवसरों से चूक कर, मध्य जून में संचित निधि में से 10.30 करोड़ रुपये निकाले तथा सभा को अभी तक इस की सूचना नहीं दी गई। जब 22 जुलाई को सत्र आरम्भ हुआ, तो भी इससे सम्बद्ध कोई भी अधिसूचना सभापटल पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन परिस्थितियों में हम निम्न प्रश्नों पर आपका स्पष्ट निर्णय चाहते हैं:

(1) क्या कार्यपालिका द्वारा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संचित निधि में से धनराशि निकलवाना उचित था ?

(2) क्या कार्यपालिका के लिए यह उचित नहीं था कि वह आकस्मिक निधि को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय पर कार्यवाही करती ?

(3) क्या कार्यपालिका द्वारा राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति के आदेश से धन निकालने के बारे में सभा को यथाशीघ्र विवरण विश्वास में लेना उचित नहीं था ?

मैं यह समझता हूं कि सभा के मूल अधिकारों का इस प्रकार के कृत्य से हनन हुआ है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The points raised by my hon. friend highlight the mind of the Government. In the same content we what to know from the Government what she takes the Parliament for granted ?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : अनुच्छेद 357 बहुत स्पष्ट है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति संचित निधि में से व्यय करने की अनुमति प्रदान कर सकता है परन्तु इसके साथ ही यह प्रतिबन्ध भी रहता है कि संसद् के अगामी सत्र में उसकी स्वीकृति ली जाये। श्री सेझियान ने ठीक ही कहा है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था। यह निश्चय ही आश्चर्य की बात है कि संसद् की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यह स्पष्टतः संसद् का अपमान है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति के आदेश को सभापटल पर नहीं रखा गया है।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मुझे अभी अभी श्री सेझियान द्वारा अध्यक्ष महोदय को लिखे गये प्रश्न की प्रति प्राप्त हुई हैं। अभी मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। इसका उत्तर वित्त मंत्री देगें, अभी मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि अनुच्छेद 357 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश को सभापटल पर रखना अनिवार्य नहीं है। इस प्रश्न को उठाने का उचित समय गुजरात की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का समय होगा।

श्री मधु लिमये (बांका) : मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल यही कहा है कि इसका उत्तर वित्त मंत्री देंगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय के इस मत से सहमत हूं कि इस प्रश्न को उठानें का यह उचित समय नहीं है। इस समय तो हम केवल गुजरात राज्य में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के काल को बढ़ाने वाले संकल्प पर विचार कर रहे हैं। यहां एक अन्य बात यह भी आ जाती है कि गुजरात से ही संबंधित बात है और गुजरात की अनूपूरक मांगों पर इस सत्र में चर्चा होने वाली नहीं है, इसीलिये यह इसे अब उठाना चाहते हैं । आखिर 10 करोड़ रुपया निकलवाना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस संबंध में श्री सेझियान, श्री लिमये, श्री मुकर्जी तथा श्री मिश्र ने जो कुछ कहा है, वह अपनी जगह ठीक हैं। परन्तु दूसरी ओर मंत्री महोदय अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। अतः मेरा निवेदन हैं कि हमें गुजरात की अनुपूरक मांगों की चर्चा के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। वैसे मंत्री महोदय इन प्रश्नों को नोट कर लें ।

श्री सेझियान द्वारा जो पत्र लिखा गया है, मैं उससे यही समझ पाया हूं कि यह व्यय 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में किया गया था। अतः गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह 10 करोड़ से अधिक राशि है। जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा 9 फरवरी को की गई तथा संसद् का सत्र 18 फरवरी 1974 को आरम्भ हुआ। श्री सेझियान का कहना है कि गुजरात की वर्ष 1973-74 की अनुपूरक मांगें वर्ष 1973-74 के दौरान अर्थात् 22 मार्च 1974 को पास की गई थीं तो फिर भला इस राशि को 22 मार्च को पास की जाने वाली मांगों में शामिल क्यों नहीं किया गया ? यह उनका एक प्रश्न है ।

उनका दूसरा प्रश्न यह है कि फरवरी से मई तक का लम्बा सत्र चलता रहा फिर भला इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग क्यों करना पड़ा? भारत की संचित निधि में से एक अध्यादेश के माध्यम से कुछ राशि के विनियोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह एक अलग प्रश्न है ?

श्री सेझियान का तीसरा प्रश्न यह है कि जब राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी हो ही गया था तो फिर जब 22 जुलाई को हमारा सत्र आरम्भ हुआ तो उसे सभा के समस्त प्रस्तुत करने में शीघ्रता क्यों नहीं दिखाई गई? इसके बाद मंत्री महोदय ने बताया की संविधान के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। परन्तु दूसरी ओर स्थिति यह है कि संविधान हमें ऐसा करने से रोकता भी नहीं है, एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि जब इन्हें प्रस्तुत करने में इतना समय लग गया तो सम्भवतः यह अनुपूरक मांगे न होकर अतिरिक्त मांगें ही हों? अभी मैं इनके बारे में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं मैंने सम्पूर्ण चर्चा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया है । यह सभी बातें सरकार द्वारा नोट कर ली जानी चाहियें तथा सरकार को इनके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह दूंगा :--

गुजरात के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : CONTINUENCE IN FORCE OF THE PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF GUJARAT

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 सितम्बर, 1974 से और 6 मास की अवधि के लिये जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए]

[Shri Vasant Sathe in the Chair]

सभा को मालूम है कि किन परिस्थितियों में विधान सभा भंग की गई थी और यह उद्घोषणा जारी की गई थी। यदि संसद ने अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी तो वह उद्घोषणा 11 सितम्बर, को समाप्त हो जायेगी। इतने कम समय में सामान्य संवैधानिक व्यवस्था करना असम्भव है। इसलिये अवधि बढ़ाना आवश्यक है।

राज्य में पुनः शान्ति स्थापना के कार्य में काफी प्रगिति हुई है। कानून और व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। प्रशासन में भी दृढता आई है।

राज्य में आन्दोलन के कारण शिक्षा संस्थाएं बंद हो गई थीं। ज्योंही आन्दोलन समाप्त हुआ राज्य के प्रशासन ने सामान्य शैक्षिक जीवन लाने के लिए कार्यवाही की। विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्वयक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई व शांन्तिपूर्ण वातावरण में परीक्षाएं सम्पन्न हुई। विद्यार्थियों ही मुख्य शिकायत यह थी कि होस्टलों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि न की जाये। इस शिकायत को काफी हद तक दूर कर दिया गया है।

राज्य सरकार समाज के दुर्बल वर्गों को सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त खाद्यान्न देने के प्रति भी जागरूक है। काफी संख्या में उचित दर दुकाने खोली गई हैं। छिपे खाद्यान्न व खाने के तेलों व अन्य आवश्यक वस्तुओं के स्टाकों को बाहर लाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी कार्य वाही की है। दुर्बल वर्ग के लोगों को कम मूल्य कर मूगंफली का तेल सप्लाई करने का कार्य भी राज्य सरकार ने प्रारंम्भ किया है। अपर्याप्त वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति को सामना करने के लिए राहत कार्य की ओर ध्यान दिया गया है। 1223 देहातों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और 1363 देहातों को अर्द्ध-अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 95,000 व्यक्तियों को देहातों में प्रांरम्भ किए राहत कार्यों में रोजगार दिये गये हैं। वृद्ध, अपगं तथा बेसहारा

लोगों की नकदी से सहायता की जा रही है। इस प्रकार की सहायता पाने वाले राज्य में लगभग 8000 व्यक्ति हैं। 172 देहातों को टैंकरों अथवा बैलगाड़ियों द्वारा पानी सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। मवेशियों के चारे का भी प्रबन्ध किया गया है।

राज्य सरकार ने विकास कार्यों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में बिजली की पर्याप्त सप्लाई के भी प्रबंध किए गए हैं। उद्योग विभाग के अधीन विभिन्न निगमों के माध्यम से यह महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। विद्यार्थीयों के वज़ीफे बढ़ा दिये गए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार (औसाग्राम) : गुजरात के लोगों ने खाद्य एवम् अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार व विधान सभा के भंग व लोकतन्त्रीय सरकार की मांग ले कर एक ऐतिहासिक आन्दोलन आरम्भ किया जो कि सफल हुआ। गुजरात की घटनाओं से देश के लिए कई बातें स्पष्ट हुई हैं। सबसे प्रथम तो यह है कि जब लोग संगठित होकर एक मांग करें तो प्रशासन के लिए उसे मानना कठिन हो जाता है।

लोगों को आशा थी कि गुजरात विधान सभा भंग करने की घोषणा के साथ ही नए चुनाव कराने की घोषणा भी करदी जायेगी। परन्तु अब गृह मंत्री राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहें हैं। यह दावा किया गया है कि गुजरात में स्थिति सामान्य है। यदि यह बात है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? शायद इस कारण कि शासक दल को बहुमत प्राप्त होने की आशा नहीं है और वह दल अपनी गुटबन्दी को भी अभी तक समाप्त नहीं कर सका है।

देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिये। जब किसी विधान सभा को भंग किया जाए तो कार्यवाहक सरकार बनाकर तत्काल चुनाव कराए जाने चाहियें। यह एक सामान्य लोकतन्त्रीय प्रक्रिया है गुजरात में नवम्बर, 1974 में चुनाव कराए जाएं चुनाव से पूर्व सभी भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए।

आज राज्य में खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं की अत्यन्त कमी है। आधे के लगभग गुजरात राज्य अकाल की चपेट में हैं। परन्तु लोगों को भोजन के स्थान पर गोलियां मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाकुंरा और मिदनापुर जिलों में भी यही स्थिति है। अतः वहां पर भी अनाज भेजा जाए। अकाल की स्थिति के कारण सैकड़ों व्यक्ति मर गए हैं।

गुजरात में बड़ी एवं लघु सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया जाये। गुजरात में भावनगर के स्थान पर एक अणु शक्ति केन्द्र भी स्थापित किया जाये। इसके साथ ही मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

डा० महिपत राय मेहता (कच्छ) : बहुत से लोग गुजरात को भारत का बहुत अधिक सम्पन्न राज्य मानते हैं। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। अहमदाबाद से सूरत तक के 200 मील के क्षेत्र अतिरिक्त शेष पूरा

गुजरात अभी भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । गुजरात की जनसंख्या का 21% भाग दलित वर्ग वा अनुसूचित जातियां हैं । विकास में असन्तुलन देश भर की एक समस्या हैं। इसलिए गुजरात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार ने कच्छ के विकास की आवश्यकता को देखते हुए पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिए कमशः तीन व 8 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की थी परन्तु प्रांतीयता के आधार पर 1960 में अच्छ का गुजरात राज्य में विलय किया गया । उस विलय के पश्चात् से इस क्षेत्र के विकास की उपेक्षा हुई है । पहले कच्छ की अर्थव्यवस्था व इसका विकास सिन्ध पर निर्भर करता था जो कि अब पाकिस्तान का अंग है इस क्षेत्र के लिए खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुए सिंध से आती थीं । उनके बदले में यहां से दस्तकारी का सामान जाता था । जब कभी भी यहां पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अपने मवेशियों के साथ सिंध चले जाते थे। वर्षा के पश्चात् ये वापस आ जाते थे । परन्तु स्वाधीनीता के पश्चात् यह सब धीरे धीरे समाप्त हो गया । सरकार ने इसके विकल्प के रूप में भी कोई प्रबन्ध नहीं किया । देश के विभाजन के पश्चात् एक भी शरणार्थी को कोई सहायता नहीं दी गई है।

आज कच्छ के लोग संकट में से गुजर रहें हैं । गुजरात में सूखे का यह लगातार चौथा वर्ष है । सूखा से बहुत से जिला प्रभावित हैं । इस स्थिति में केवल 15,000 व्यक्तियों को राहत देना क्या पर्याप्त है ? केवल कच्छ के 968 देहातों में ही अभाव की स्थिति घोषति की गई है। चारे के बिना मवेशी मर रहें हैं । सरकार को इस स्थिति की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये ।

गुजरात में कानून व व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है। राज्यपाल के सलाहकार के अहाते में पत्रकारों पर लाठीचार्ज किया गया है । अहमदाबाद में आठ दिन तक दंगे हुए हैं। गुजरात में आज अफसरों का शासन है । इस शासन द्वारा जनता की आकांक्षाओं व मांगों की उपेक्षा की जाती है । संविधान के अनुच्छेद 371(2) में कच्छ के लिए एक अलग विकास बोर्ड का उपबन्ध है। सीमा आयोग एवं सयुक्त संसदीय समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी । जब राज्यपाल के सलाहकार से उसकी मांग की गई तो उसे एकता-विरोधी बात कह कर ठुकरा दिया गया । सरकार को उस बोर्ड को स्थापना करनी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति शासन को एक बहुत ही सामान्य बात समझती है । वास्तव में संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिये अत्याधिक विशेष कारण होने चाहियें।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन उथल पुथल की अवधि के पश्चात् लागू किया गया था उथल-पुथल के बारे में किसी की राय कुछ भी हो परन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त था । एक नये गुजरात का निर्माण करने के उद्देश्य से गुजरात नव-निर्माण समिति का गठन किया गया । सरकार ने आन्दोलन का दमन करना चाहा। चाहिये तो यह था कि सरकार उस समय वहां पर शीघ्र चुनाव कराती। यहीं लोगों की लोकतन्त्रीतय भावनाओं का आदर होता । उस समय का लाभ उठाकर गुजरात में वास्तविक लोकतन्त्रात्मक गठन की स्थापना की जा सकती थी परन्तु सरकार में

इतना साहस एवं बुद्धिमता नहीं थी । सरकार ने वहां पर धन और शक्ति का दुरुपयोग किया । सरकार को समझना चाहिये कि इससे एक ऐसे ज्वालामुखी का निर्माण किया गया है जो किसी भी समय लोगों का धैर्य समाप्त होते ही फट सकता है।

सरकार चुनाव के स्थान पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहती है । शायद 6 मास के पश्चात् फिर अवधि बढ़ाने की मांग की जायेगी । माननीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन से गुजरात का काफी भला हुआ है । परन्तु इसके विपरीत मेरी जानकारी यह है कि लोगों की कठिनाइयां लगातार बनी हुई है । वहां पर अकाल जैसी स्थिति हैं।

कच्छ जैसे स्थान में पानी न होने के कारण घास नहीं है । कच्छ को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये वहां पर बड़े पैमाने पर राहत कार्य किये जायें । सवरकुण्डला, पालिताना गाडियाधर तथा अन्य स्थानों पर भी दुर्भिक्ष की स्थिति है। भावनगर तथा जामनगर में पीने के पानी का नितान्त अभाव है । इसके कारण सारी जनता के समाप्त हो जाने की आशंका है । वहां पर निकट के बांध के पानी को केवल पीने के पानी के लिए आरक्षित किया जाए और उन लोगों को मृत्यु से बचाया जा सकता है ।

हरिजनों की अनेक समस्याएं हैं । उन पर अभी भी अत्याचार हो रहें हैं यह ठीक है कि कि गुजरात सरकार ने कुछ अवसरों पर कार्यवाही की है अहमदाबाद में हरिजनों ने अलग हरिजन क्षेत्र की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है । सरकार को इस सब के बारे में उदासीन नहीं रहना चाहिये कच्छ के गांवों के हरिजनों पर राजपूतों के अत्याचारों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत पत्रकारों को पीटा गया है । लिम्बडी स्थान पर पुलिस ने गोली चलाई। उसके बारे में जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पुलिस भीड़ को नियन्त्रित नहीं कर सकी थी ।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है । हमें बताया गया है कि गुजरात राज्य कपड़ा निगम के प्रेजीडेट "इंटक" के नेता श्री वासदेव हैं और उन पर तथा उनके संम्बन्धियों पर तथा मित्रों पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गंम्भीर आरोप लगाये गये हैं। 17 अगस्त, 1974 के "ब्लिट्ज" में इन आरोपों का ब्यौरा दिया गया है । सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ।

नर्मदा परियोजना के बारे में अब तक कोई निर्णय नही किया गया है और अब यह काम प्रधान मंत्री को सौंपा गया है गुजरात, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को जहां कांग्रेस का शासन है, परस्पर मिलकर कोई निर्णय कर लेना चाहिये ।

गुजरात में अत्यधिक गरीबी है । बच्चों को भूखे पेट रहना पड़ता है । जब गुजरात में राष्ट्रपति का शासन है तब केन्द्रीय सकार की इस संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। आज सरकार चोर बाजारी, करने वालों अत्यधिक लाभ कमाने वालों, जमाखोरों और तस्कर व्यापारियों आदि को दंड नहीं दे सकती क्योंकि सरकार इन अपराधियों का साथ देती है जिन्हें इतिहास कभी नही भूलेगा सरकार को गुजरात राज्य

सरकार को गुजरात राज्य को आदर्श राज्य बनाना चाहिये । अतः मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को मसूहस करे ।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : इस समय गुजरात में राष्ट्रपति का शासन है जिसकी अवधि बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । इस समय गुजरात में सूखे की गंम्भीर स्थिति है। वर्षा की कमी के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है । गुजरात के 80 प्रतिशत जिलों में पहली वर्षा बिल्कुल नहीं हुई । 20 प्रतिशत जिलों में पहली वर्षा हुई थी परन्तु उसके बाद दूसरी वर्षा बिल्कुल नहीं हुई । इसलिये फ़सल खराब हो रही है । यह एक दैवी विपत्ति है । पिछले वर्ष बाढ़ के कारण गुजरात की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी थी और अकाल की स्थिति का भी मुकाबिला करना पड़ा था । इस प्रकार गत तीन वर्षों से गुजरात को सूखे और बाढ़ के रूप में देवी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है हम यहां पर बैठकर उनकी विपदा का अनुमान नहीं लगा सकते । मंत्री महोदय को गुजरात के संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये । यह ठीक है कि राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये बिना राज्यपाल संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिये कुछ नहीं कर सकती । इसलिये गुजरात के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि राहत कार्य आरंम्भ किये जा सके और पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध की जा सके तथा ढोरों के लिये चारे की व्यवस्था की जा सके। कृषि मंत्री को गुजरात के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज भेजना चाहिये ताकि वहां भुखमरी न हो । आरम्भ से ही हमें अनाज कम मिलता है और हमें केन्द्रीय 'पूल' पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः यदि केन्द्रीय सरकार गुजरात को अनाज नहीं भेजती तो वहां लोग भूखे मरेंगे । मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह लगातार कुछ महीनों तक एक लाख टन अनाज वहां भेजे ।

जब गुजरात में लोकप्रिय सरकार थी तब विरोधी पक्ष के नेता उसको गिराना चाहते थे और अब वे राष्ट्रपति शासन की आलोचना करते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम चुनाव से नहीं डरते । हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिये हार और जीत का कोई महत्व नहीं है ।

Shri Hamendra Singh Banera (Bhilwara) : I oppose this Resolution for extending the President's Rule in Gujarat because this is undemocratic and unrealistic. The hon'ble Minister should have explained the circumstances under which elections could not be arranged within a period of six months. Delimitation Commission had fixed 31st March as the target date for filing objections but after that why elections could not be arranged ?

Government can advise the President under Article 356 of the constitution to impose President's Rule but they forgot that Dr. Ambedkar had explained in the constituent Assembly that "I hope this Article will remain a dead letter." But unfortunately the fact remains that during the last 24 years, President's Rule has been imposed in 16 States and 33 times. In these sixteen States President's Rule has been imposed six times in Gujarat alone.

Gujarat is worst striken by famine and more so is one of its districts, namely Kutch where about 2 lakh people badly needly exployment relief. Government has provided employment relief to only 95,000 people in the entire State and the situation there is still very serious. Arrangements for fodder should be made forth with otherwise you will not be able to save 3000 heads of cattle.

अभाव सम्बन्धी राहत प्रतिवेदन में कहा गया है :—

"राजकोट नगर को जल की सप्लाई करने के लिये 65 किलोमीटर की पाइपलाइन वाली एक 2 करोड़ रुपये की लागत वाली जल सप्लाई योजना को रिकार्ड टाइम में पूरा किया गया ....."

परन्तु दुर्भाग्य से वह पानी राजकोट नहीं पहुंचा है। मित्र मेरे खड़े होकर बतायें कि क्या उन्हें इस योजना से कोई राहत मिली है। निकट भविष्य में राजकोट तथा जामनगर की दशा ऐसी होने वाली है कि यदि इन नगरों को पानी की सप्लाई के लिये तुरन्त कदम नहीं उठाये गये तो आपको वे नगर खाली कराने पड़ेंगे .....(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसका मतलब है अब पानी गुजरात से राजस्थान में चला गया है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा: गुजरात जैसी ही स्थिति राजस्थान में भी है। वहां भी अकाल की कुदृष्टि पड़ रही है। गुजरात में बाजरा और घास एक ही भाव अर्थात् एक रुपया प्रति किलोग्राम बिक रहा है।

मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो राज्यपाल के सलाहकार को रिपोर्ट देने के लिए जाने वाले पत्रकारों पर लाठी चार्ज के बारे में जिन्होंने गुजरात को आई० जी० पी० को मुअत्तिल करने की मांग की थी। दूसरे हरिजनों पर शर्मनाक अत्याचार हो रहे हैं विशेषरूप से उस राज्य में जो कि गांधी जी की भूमि है और इसमें केन्द्रीय शासन के अधीन है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो मुआवजा 5,000 रुपये दिया गया परन्तु इस घटना में मारे गये हरिजनों तथा आन्दोलन के दौरान मारे गये सैकड़ों व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Shri Arvind M. Patel (Rajkot): First of all I would express happiness on Sh. Banera's disclosure that Bajra is Selling at Re 1/- Kg. in this country, that means foodgrains have become very cheap. Secondly, it is not true that Rajkot is not getting water from the new pipe line. In fact that city is getting about 10—15 lakh gallon of water from Bhadar Dam through this pipe line and only this line has saved the lives of 3 lakh people of Rajkot.

Various leaders of the opposition also visited Gujarat have never talked of famine there but they only indulge in propoganda here in the House for political gains, particularly in respect of coming elections in Gujarat.

Gujarat has been facing acute famine at present and also for the last 3 years. Thereby causing acute scarcity of foodgrains fodder and drinking water. Therefore, my suggestion is that the unutilised money allotted for the plan should be spent on relief measures so that some solid gains are achieved.

There is no major river in Saurashtra region for constructing a big dam. Therefore small dams should be constructed to irrigate the lands there. Then, the opposition should not be allowed to accrue political gains on the count of farming to in 10-12 districts of Gujarat. However, I am sure that the opposition would face the same lot in the elections wherever those are held.

Finally, I would say that Government have done everything in the interest of the people and as such I support this Resolution.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : इस प्रस्ताव के द्वारा उस गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रयास है जो हाल में राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग नहीं ले सका। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। गुजरात का राष्ट्रपति पद के

---

* तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated Version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

लिये चुनाव में भाग न लिये जा सकने का प्रश्न उच्चतम न्यायालय को सलाह के लिये भेजा गया था परन्तु हम जानते थे कि प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध निर्णय नहीं देंगे ।

गुजरात में कांग्रेस शासन घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर समाप्त हुआ था । स्वयं कांग्रेस दल के सदस्यों ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे । इस पर भी केन्द्रीय सरकार ने उन्हें नहीं हटाया था परन्तु तददुपरान्त गुजरात में छात्र आन्दोलन के फलस्वरूप मंत्रिमण्डल समाप्त हुआ और विधान सभा भी भंग की गई । साथ ही वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया था ।

श्री चिमन भाई पटेल ने अपने त्याग पत्र के बाद केन्द्रीय सरकार पर गुजरात में खाद्यान्न की सप्लाई न करने का आरोप लगाया था और कहा था कि केन्द्र ने राष्ट्रपति शासन के तुरन्त बाद वहां खाद्यान्न की तुरन्त सप्लाई कर दी थी । यह सब कुछ गुजरात के लोगों में कांग्रेस के प्रति सद्भावना पैदा करने के लिये किया गया था । पहले तो केन्द्रीय सरकार विधान सभा को भंग करने को राजी नहीं थी परन्तु बाद में अचानक विधान सभा भंग कर दी गई थी और अब वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है । तो फिर अब सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं कराती है । मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यही कहेंगे कि वहां बाढ़ और सूखे की स्थिति है, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि सरकार वहां चुनाव तब करायेगी जब कि स्थिति उनके दल के लिये लाभदायक होंगी । वह जानते है कि गुजरात के लोगों की उनके दल के प्रति घृणा अभी समाप्त नहीं हुई है । और इस समय चुनाव कराने में इनका दल घाटे में रहेगा । यही कारण है कि सरकार वहां राष्ट्रपति शासन को छः मास के लिये और बनाये रखना चाहती है । इस बीच सरकार अपने राज्यपाल के जरिये स्थिति अपने दल के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी ।

आज देश के प्रत्येक भाग में जो आर्थिक संकट तथा अन्य विपदायें हैं वे सब कांग्रेस की शक्ति लोलुपता के कारण है । गुजरात में राष्ट्रपति का शासन होने पर भी वहां हरिजनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रणमालपुर तथा सुरेन्द्रनगर की घटनायें इतिहासिक घटनाओं का रूप ले चुकी हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि जिस राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया वहीं पर ही हरिजनों को सुरक्षा नहीं मिल रही । मुझे विश्वास है कि गांधी जी की आत्मा इन लोगों से अवश्य प्रतिशोध लेगी ।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों की सुरक्षा के लिये गुजरात में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ? दूसरे सरकार गुजरात में तुरन्त चुनाव कराने की व्यवस्था करे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री डी० पी० जडेजा (जामनगर) : गृह मंत्री के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं विपक्ष के इस विचार से भी सहमत हूं कि गुजरात में यथासंभव शीघ्र चुनाव कराये जायें तथा ये चुनाव स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हों । परन्तु साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि विपक्ष के नेताओं ने स्वयं जाकर गुजरात की स्थिति को ध्यान से देखा होता तो वे कभी भी इस समय चुनाव की मांग नहीं करते। बल्कि वे यह कहते कि चुनाव पर जो पैसा खर्च करना है वह सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत देने पर खर्च

किया जाये । इस वर्ष जो अकाल गुजरात में पड़ा है ऐसा भयंकर अकाल कभी सुनने या देखने में नहीं आया गुजरात का तमाम उत्तरी क्षेत्र भयंकर सूखे का शिकार है और वहां यदि अब से अगले मौनसून तक बर्षा न हुई तो यह सारा क्षेत्र खाली कराना पड़ेगा । मुझे दुःख है कि इस स्थिति की गंभीरता को उचित रूप में नहीं समझा गया है । केन्द्र सरकार वहां अपना एक दल भेजकर स्थिति की गम्भीरता का स्वयं अनुमान करे ।

यह सच है कि गुजरात में गत छः से आठ मास में कुछ अच्छी योजनायें चलाई गई हैं । गुजरात का 9 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है । और इस का 60 प्रतिशत भाग अब पूर्णतया नष्ट हो गया है । नई वनरोपण योजनाओं की इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है । मेरा सूझाव है कि वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिये आवंटित तमाम धनराशि इस समय पौध लगाने तथा खुदाई आदि कार्यों पर खर्च की वजाय पहले ही से लगे पेड़ों की सुरक्षा पर खर्च की जानी चाहिये ।

गुजरात के उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र और सौराष्ट्र के समूचे क्षेत्र में इस समय ताज़ा पेय जल का कोई स्रोत नहीं है । फरवरी तथा मार्च के अन्त तक जामनगर तथा राजकोट जैसे शहरों क 3–½–4 लाख आबादी के द्वारा जल का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं होगा । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे और यह पता लगाये कि वहां भूगत जल के निकालने की संभावना है कि नहीं ?

मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में तब तक पानी नहीं आ सकता जब तक कि नर्मदा परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना वहां नहीं पहुंचती हालांकि इन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां इन योजनाओं से भी पानी नहीं मिल सकेगा । अतः इस क्षेत्र में खारी पानी को मीठा बनाने वाला संयंत्र लगाये बिना कोई चारा नहीं है । हालांकि आर्थिक दृष्टि से यह कार्य महंगा पड़ता है । इस लिये पाइप लाइन द्वारा समुद्र के पानी को इस संयंत्र द्वारा पीने योग्य बनाया जाये और नगरों में पहुंचाया जाये ।

राजकोट में इतनी शीघ्रता से 65 किलोमीटर लंबी पाईप लाईन बिछाने के लिये गुजरात सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु जामनगर तथा द्वारिका जैसे क्षेत्रों में जहां पर्यटकों का काफी आना जाना है परन्तु वहां पानी का सर्वथा अभाव है तथा आगे तीन महीने बाद और गंभीर हो जायेगा वहां क्या योजना आरम्भ की जायेगी ? वहां पर भी उत्तर प्रदेश की भांति कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था की जाये भले ही इस के लिये थोड़े बहुत रसायनों का आयात करना पड़े ।

अभाव संबंधी निर्माण कार्य बढ़ाये जाने चाहिये परन्तु साथ ही वहां 5–6 वर्ष पुरानी मंजूरी न देकर उस में किसी न किसी रूप में वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि वर्तमान मजूरी से बेचारे मजदूर इतने महंगे खाद्यान्न नहीं खरीद सकते ।

गुजरात के कुछ भागों में विशेष कर उत्तर पश्चिम भाग में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है । बेचारे किसान बीज बो-बोकर काफी हानि उठा चुके हैं । सरकार वहां का सर्वेक्षण करे तथा त्रस्त किसानों को कुछ उपदान या राजसहायता प्रदान करे ।

गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं की ओर सरकार विशेष ध्यान दे । पत्तन-शुद्ध का पुनरीक्षण करे । साथ ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का चयन भी फिर से करे ।

मैं मानता हूं कि सरकार को वित्त की परेशानी है परन्तु अनिवार्य कार्यों के लिये सरकार को कहीं न कहीं से स्रोत जुटाने ही होंगे । सरकार गुजरात में लागू खुली नगरीय भूमि संलग्न अधिनियम (ओपन अर्बन लैंड एलिनियेशन ऐक्ट) में संशोधन करे । उस में कुछ राहत दे जिस से रोज़गार की स्थिति में कुछ सुधार होगा तथा मूल्य भी गिरेंगे । साथ आवास समस्या भी आसान हो जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

(Mr. Speaker in the Chair)

सभा का अवमान

Contempt of the House

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को मालूम है कि आज लगभग 1 बज कर 52 मिनट पर दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने सभाकक्ष में पर्चे फेंके थे तथा नारे लगाये थे और वाच एंड वार्ड अधिकारी ने उसे तुरन्त पकड़ कर उससे पूछताछ की थी । उस अधिकारी की रिपोर्ट निम्न प्रकार है ।

"Today at about 1.52 p.m. a visitor by the name of Amrit Lal Sharma who came to the Public Gallery with pass No. 169, issued through Shri Lalji Bhai, M.P. threw pamphlets in the House and shouted slogan **'Inqilab Zindabad'.**

2. He was immediately apprehended and brought out of the Gallery. On interrogation, he said that his name is Amrit Lal Sharma S/o Shri Harbans Lal Sharma and resident of F-38, Vishnu Garden, near Tilak Nagar, New Delhi. At present he is working as a conductor in Delhi Tourist Transport Cooperative Society. His grievance is that he had applied for admission in Film and Television Institute, Poona for acting course but he did not get admission. He, therefore, demonstrated against the policy of the Ministry of Information and Broadcasting for not admitting eligible candidates in the Poona Institute.

3. A copy of the pamphlet, his Visitors' Gallery Card and his statement, are placed below.

4. The Visitor is under the custody of Watch & Ward Officer."

अपने आप को अमृत लाल शर्मा कहने वाले उक्त दर्शक ने गंभीर अपराध किया है तथा वह सभा का अवमान करने का दोषी है । अब सभा इस संबंध में जो चाहे निर्णय करे ।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : Sir, Your Secretary Shri Rajendra has told me that not mine but Shri Kachwai's name is there. Earlier my name was quoted.

Mr. Speaker : May it be anybody's name.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:—

> यह सभा संकल्प करती है कि स्वयं को अमृत लाल शर्मा कहने वाले एक व्यक्ति ने, जिसने आज 13.52 बजे दर्शक दीर्घा से सभा भवन में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये और जिससे वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वह सभा के अवमान का दोषी है ।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसे सोमवार, 9 सितम्बर, 1974 के मध्याह्न पश्चात 6 बजे तक के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाये और सेन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि स्वयं को अमृत लाल शर्मा कहने वाले एक व्यक्ति ने, जिसने आज 13.52 बजे दर्शक दीर्घा से सभा भवन में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वह सभा के अवमान का दोषी है ।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसे सोमवार, 9 सितम्बर, 1974 के मध्याह्न पश्चात् 6 वजे तक के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाये और सेन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : This punishment is quite meagre one. It is not desirable that anybody may do like that.....(*interruptions*).

Shri P.R. Das Munshi : An artist should get less punishment.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : यदि पेसा होता रहा तो सभा काम न कर सकेगी । उसे इतनी थोड़ी सी सजा देकर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये । उसे कड़ी सजा दी जाये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये । He was very eager to do play acting but he réached a wrong place where there are already many नियमों के अनुसार हम उसे इस सत्र के अन्त तक के समय से अधिक दण्ड नहीं दे सकते ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्द गांव) : जहां आपने उस यक्ति के लिये दण्ड सुनाया है वहां यहां के वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों के लिये भी कुछ शब्द कहने में उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । यह उनका कर्तव्य है । मैं उनकी प्रशंसा के लिये उनके अधिकारी को लिखूंगा । यहां सभा में कुछ नहीं कहूंगा । अब, श्री कुरेशी वक्तव्य देंगे ।

दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे फाटक पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

Statement re. Railway accident at a level crossing on South Central Railway.

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्रीमन्, मुझे खेद के साथ सदन को एक दुर्घटना की सूचना देनी पड़ रहीं है जो आज प्रातः दक्षिण मध्य रेलवे के एक चौकीदार वाले समपार के फाटक पर हुई । लगभग 00–05 बजे, नं० 227 अप गुंटूर-गदमा सवारी गाड़ी, दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाडा मंडल में गुंटूर-दोनकोंडा इकहरी मीटर लाइन वाले खण्ड पर संतामंगलूर और सावल्र-पुरम स्टेशनों के बीच किलोमीटर 607/13–14 पर स्थित चौकीदार वाले समपार के फाटक पर सड़क परिवहन की एक वस के पिछले भाग से टकरा गयी । इस टक्कर के फलस्वरूप बस में बैठे 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और दो व्यक्ति बाद में मर गये । इस तरह मरने वालों की संख्या 11 हो गयी । इसके अलावा, 12 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 3 को गम्भीर चोटें आई । घायल व्यक्तियों को गुंटूर के सिविल

अस्पताल और विजयवाड़ा के रेलवे अस्पताल में पहुंचाया गया । सूचना मिली है कि वहां उनकी हालत में संतोषजनक सुधार हो रहा है ।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सहायता एवं बचाव कार्य के पर्यवेक्षण के लिए रेल अधिकारी घटना-स्थल के लिए चल पड़े ।

घायलों तथा मृत व्यक्तियों के निकट संबन्धियों को अनुग्रह के रुप में भुगतान की व्यवस्था की गयी है ।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने अपनी जांच नरसारावपैटटे में इसी माह 9 तारीख को प्रारम्भ करने का विनिश्चय किया है ।

गुजरात के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के संबंध में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे । श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ।

Shri Periya Ranjan Das Munshi (Calcutta-South) : Mr. Speaker. Sir, Today I will try to speak in Hindi today. Firstly I rise to support the Resolution moved by our Home Minister but side by side I would urge upon the Government to make arrangements for the Assembly elections as early as possible.

The ouster of Gujarat Chief Minister the Congress rule and also the dissolution of the Assembly was followed by the agitation launched by Gujarat Youth in support of certain demands all of which could not be conceded even elsewhere in the country. Therefore not only from political point of view, the Government of India should look into the Gujarat problems from financial and administrative points of view also. The confidence of the people of Gujarat should be regained by augmenting development works and by eradicating corruption in the State. Effective steps should be taken to achieve that.

Whatever happened in Gujarat was instigated by the reactionery forces, and it was a pity to find Shri Morarji Desai who had formerly been shouldering the responsibilities of the country for the last 25 years, now helping these forces and blaming Smt. Indira Gandhi for such a situation in Gujarat. He has created maximum possible confusion in the people's mind.

Now I will make a few suggestions First of all before holding elections in Gujarat and atmosphere of Confidence in Democracy and a hope of good administration we brought about. Let no elements create confusion in the mind of students and youth and goonda then against democracy. Secondly all the textile mill in the State should be nationalised and also abolish all the private financial institutions ....(*interruptions*). Let the trade be nationalised in Gujarat.

The Gujarat Youth is of the opinion that they are not being given adequate representation in the Govt. public undertakings like O.N.G.C. etc. My suggestion is that although any citizen in India can work in any part of the country but it would be better if the people from such areas as are lacking in employment opportunities are given preference over others

Before you decide upon Narmada issue let all the progressive forces be consulted and taken into confidence.

A new policy or strategy should be formulated for agricultural development and employment in Gujarat. Private capital should be abolished as far as possible.

The police in Gujarat has been indulging in high handedness and atrocities. The I.G.P. there is using his every hit to harrass the people thereby maligning the dignity of the Presidents' Rule there. The hon. Home Minister should look into it and take appropriate steps in this regard.

Finally I would suggest that some leaders from the Centre itself should be sent to Gujarat for heading the Government as was done in the case of West Bengal where you sent Shri Sidhartha Shanker Ray as Chief Minister and he has been running the administration very ably.

सदस्य की गिरफ्तारी

Arrest of Member

अध्यक्ष महोदय : मुझे एर्नाकुलम के पुलिस कमिश्नर से यह तार प्राप्त हुआ है कि श्री एन० श्रीकान्तन नायर को 6 सितम्बर को प्रातः 10.20 बजे उच्च न्यायालय के द्वार के सामने पिकेटिंग करने के लिये तथा बाधा पैदा करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है । उन्हें जिला न्यायाधीश के सामने पेश किया जा रहा है ।

अब यह सभा कल 11 बजे के लिये विसर्जित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा, शनिवार, (7 सितम्बर, 1974/16 भाद्र, 1896 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Saturday September 7, 1974/ Bhadra 16, 1896 (Saka).

MGIPRRND—35LSS/74—III Day—6-12-74—490